



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25102024-258244
CG-DL-E-25102024-258244

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 607]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 25, 2024/कार्तिक 3, 1946

No. 607]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2024/KARTIKA 3, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2024

सा.का.नि. 665(अ).—केन्द्रीय सरकार जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा जैव विविधता नियम, 2004 को, उन बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जैव विविधता नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से साठ दिन की समाप्ति पर प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अभिप्रेत है;

- (ग) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से अधिनियम की धारा 55क के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी अभिप्रेत है;
- (घ) "जैव-विविधता प्रबंधन समिति" से अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) अधीन स्थापित जैव विविधता प्रबंधन समिति अभिप्रेत है;
- (ङ) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (च) "शुल्क" से इन नियमों की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट कोई शुल्क अभिप्रेत है;
- (छ) "प्रपत्र" से इन नियमों की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रपत्र अभिप्रेत है;
- (ज) "सदस्य" से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव सम्मिलित हैं;
- (झ) "सदस्य-सचिव" से, यथास्थिति प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषद के पूर्णकालिक सचिव अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इसमें प्रयुक्त है, और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

3. अध्यक्ष के चयन और नियुक्ति की रीति.- (1) अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन अध्यक्ष की प्रत्येक नियुक्ति या तो प्रतिनियुक्ति के आधार पर, जिसके अधीन अल्पकालिक संविदा भी है, या सरकार के बाहर से चयन द्वारा की जाएगी और यदि नियुक्ति सरकार से प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा के माध्यम से हो तो आवेदक भारत सरकार के अपर सचिव के पद से नीचे का नहीं होगा।

4. अध्यक्ष की पदावधि.- (1) अध्यक्ष, नियुक्ति के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

परन्तु कोई भी अध्यक्ष, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के पश्चात्, जो भी पहले हो, पद धारण नहीं करेगा।

(2) अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार को लिखित में एक माह का नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

5. वेतन और भत्ते.- (1) अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव के समतुल्य वेतन का हकदार होगा।

(2) यदि किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो वेतन ऐसे व्यक्तियों पर लागू केन्द्रीय सरकार के विद्यमान आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(3) अध्यक्ष ऐसे भत्ते, छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि, चिकित्सा सुविधाएं, किराया मुक्त आवास या मकान किराया भत्ता, अन्य सुविधाओं का हकदार होगा, जो समकक्ष रैंक के केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को स्वीकार्य हैं।

6. गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि और भत्ते.- (1) प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य, राजपत्र में ऐसे सदस्य की नियुक्ति के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होने वाला प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य बैठक भत्ता, यात्रा व्यय, दैनिक भत्ता तथा ऐसे अन्य भत्तों का हकदार होगा, जो केन्द्रीय सरकार के आयोगों तथा समितियों की बैठकों में उपस्थित होने वाले गैर-सरकारी सदस्यों पर लागू होते हैं।

7. गैर-सरकारी सदस्यों की रिक्तियों को भरना.- (1) कोई भी गैर-सरकारी सदस्य, अध्यक्ष को सूचित करते हुए, केन्द्रीय सरकार को एक माह का लिखित नोटिस देकर किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने पर या नोटिस की अवधि समाप्त हो जाने पर प्राधिकरण में उस सदस्य का स्थान रिक्त हो जाएगा।

(3) किसी गैर-सरकारी सदस्य की आकस्मिक रिक्ति नए नामांकन द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति को भरने के लिए नामित व्यक्ति केवल उस सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर ऐसा सदस्य नामित किया गया था।

8. सदस्यों को हटाया जाना.- किसी भी सदस्य को अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई जांच के बिना तथा ऐसे सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना, पद से नहीं हटाया जाएगा।

9. सदस्य-सचिव.- (1) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण के लिए एक सदस्य-सचिव की नियुक्ति करेगी।

(2) सदस्य-सचिव, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समतुल्य वेतन पाने का हकदार होगा।

(3) सदस्य-सचिव की नियुक्ति की निबंधन और शर्तें केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएंगे।

(4) सदस्य-सचिव प्राधिकरण की बैठकें बुलाने, प्राधिकरण की कार्यवाहियों के अभिलेखों के रखरखाव तथा ऐसे अन्य मामलों के लिए उत्तरदायी होगा, जो उसे प्राधिकरण या अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएं।

(5) सदस्य-सचिव प्राधिकरण के सभी कागजातों और अभिलेखों का प्रभारी होगा तथा उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) प्राधिकरण द्वारा जारी सभी निर्देश, संकल्प, आदेश और अनुदेश साधारणतया सदस्य-सचिव या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे।

10. प्राधिकरण की बैठकें.- (1) प्राधिकरण की बैठक वर्ष में तीन माह में कम से कम एक बार प्राधिकरण के मुख्यालय में या ऐसे स्थान पर होगी, जैसा अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(2) अध्यक्ष, प्राधिकरण के कम से कम छह सदस्यों के लिखित अनुरोध पर या केन्द्रीय सरकार के निदेश पर, प्राधिकरण की विशेष बैठक बुलाएगा।

(3) सदस्यों को साधारण बैठक आयोजित करने के लिए कम से कम पंद्रह दिन पहले तथा विशेष बैठक आयोजित करने के लिए कम से कम तीन दिन पहले सूचना दी जाएगी, जिसमें बैठक आयोजित करने का उद्देश्य, समय और स्थान निर्दिष्ट किया जाएगा:

परंतु अध्यक्ष, अत्यावश्यक मामलों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए सदस्यों को अल्प सूचना देकर प्राधिकरण की आपातकालीन बैठक बुलाने को प्राधिकृत कर सकेगा।

(4) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों में से सदस्य-सचिव की उपस्थिति में निर्वाचित पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(5) यदि आवश्यक हो तो प्राधिकरण की बैठक में विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा लिए जाएंगे तथा अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(6) सदस्य-सचिव सहित प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा।

(7) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक में गणपूर्ति सात सदस्यों की होगी।

(8) बैठक में कोई सदस्य प्राधिकरण के सदस्य विचारार्थ कोई मामला लाने का हकदार होगा जिसके लिए उसने दस दिन की सूचना दी हो या अध्यक्ष अपने विवेकानुसार ऐसा करने की अनुमति दे।

(9) प्राधिकरण के सदस्य-सचिव द्वारा सदस्यों को बैठक की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से या ऐसे अन्य तरीके से दी जा सकेगी, जैसा मामले की परिस्थितियों में उचित समझा जाए।

11. प्राधिकरण के साधारण कार्य .- प्राधिकरण,-

- (क) राष्ट्रीय जैव विविधता कोष के प्रशासन का कार्य कर सकेगा;
- (ख) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए राज्य जैव विविधता बोर्डों या संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषदों और जैव विविधता प्रबंधन समितियों को अनुदान स्वीकृत कर सकेगा;
- (ग) प्राधिकरण के अनुमोदन को सम्मिलित करते हुए पक्षों के बीच निष्पादित किए जाने वाले विभिन्न समझौतों की पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के प्रारूप और विषय-वस्तु पर विनिश्चय कर सकेगा;
- (घ) अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्डों या संघ राज्यक्षेत्र जैव विविधता परिषदों को तकनीकी और विधिक सलाह, स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन प्रदान कर सकेगा;
- (ङ) राज्य जैव विविधता बोर्डों और संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषदों के क्रियाकलापों का समन्वय करेगा;
- (च) जन जैव विविधता रजिस्टर के इलेक्ट्रॉनिक और/या मैनुअल प्रारूपों को निर्दिष्ट करेगा तथा जैव विविधता से संबंधित सूचना के दस्तावेजीकरण, इसके आवधिक अद्यतनीकरण, इसे इलेक्ट्रॉनिक या सार्वजनिक रूप से सुरक्षित रूप से बनाए रखते हुए और डिजिटल फॉर्म भरने और ऐसी जानकारी साझा करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करेगा;
- (छ) किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में जन जैव विविधता रजिस्टर के माध्यम से जैविक संसाधनों और उनसे संबंधित पारंपरिक ज्ञान के लिए डेटाबेस और प्रलेखन प्रणाली विकसित करेगा;
- (ज) जैव विविधता रजिस्ट्रों की तैयारी, वैधीकरण और रखरखाव के लिए, यदि अपेक्षित हो तो, राज्य जैव विविधता बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषद के माध्यम से या सीधे जैव विविधता प्रबंधन समितियों को मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा;
- (झ) प्राधिकरण के कृत्यों और अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे सकेगा;
- (ञ) अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में किसी क्षेत्र का निरीक्षण कर सकेगा तथा दस्तावेजों की जांच करेगा;
- (ट) जैव विविधता से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकीय डेटा, मैनुअल, कोड या मार्गदर्शिकाओं को एकत्रित, संकलित और प्रकाशित करेगा, जिसमें संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग, तथा जैविक संसाधनों और उससे संबंधित ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न लाभों को उचित और न्यायसंगत रूप में साझा करेगा;
- (ठ) अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अध्ययन, अनुसंधान, जांच, परियोजनाएं, कार्यशालाएं, सेमिनार, सम्मेलन आदि प्रायोजित कर सकेगा;

- (ड) अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संबंधित विभागों और शैक्षणिक, वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों सहित सभी हितधारकों के लिए जागरूकता पैदा करेगा और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करेगा;
- (ढ) वार्षिक बजट तैयार करेगा, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा ऐसे प्ररूप में वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए;
- (ण) प्राधिकरण के पदाधिकारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले विनियम बना सकेगा;
- (त) प्राधिकरण को उसके कार्यों के प्रभावी निर्वहन में सहायता प्रदान करने के लिए, तीन वर्ष से अधिक की विशिष्ट अवधि के लिए परामर्शदाताओं और सलाहकारों को नियुक्त कर सकेगा:

परंतु, यदि तीन वर्ष की अवधि से अधिक के लिए किसी परामर्शदाता या सलाहकार को नियुक्त करना आवश्यक और समीचीन हो तो प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।

- (थ) प्राधिकरण द्वारा कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए पदों के सृजन, भर्ती नियमों के आवधिक संशोधन, वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तों के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सिफारिश कर सकेगा;
- (द) आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए उनके उपयोग से उत्पन्न लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे पर नागोया प्रोटोकॉल के प्रयोजनों के लिए एक सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा;
- (ध) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट राज्य जैव विविधता बोर्डों और संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषदों के विवादों का न्यायनिर्णयन कर सकेगा;
- (न) राज्य जैव विविधता बोर्डों या संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषदों द्वारा जैव विविधता प्रबंधन समितियों के विवादों के निपटारे के लिए आदर्श दिशा-निर्देश निर्धारित करेगा;
- (प) राज्य जैव विविधता बोर्डों, संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषदों, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, या किसी अन्य प्राधिकरण के परामर्श से, जैसा उचित समझा जाए, अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन खेती किए जाने वाले औषधीय पौधों की उत्पत्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छूट प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं विकसित कर सकेगा।
- (फ) जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नियम तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश सुझाएगा;
- (ब) जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए शुल्क संग्रह हेतु मॉडल दिशा-निर्देश तैयार करेगा;
- (भ) जब कभी आवश्यक हो, जैव विविधता प्रबंधन समितियों को जैविक संसाधनों और उनसे संबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच के लिए स्थानीय समुदायों द्वारा पूर्व सूचित सहमति प्रदान करने में सुविधा प्रदान करेगा;
- (म) अधिनियम के अधीन अपने विभिन्न कार्यों के निर्वहन के लिए पारदर्शी और जवाबदेह रीति से एक ऑनलाइन सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल विकसित कर सकेगा।

- 12. अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य.-** (1) अध्यक्ष का प्राधिकरण के दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों पर समग्र नियंत्रण होगा।
- (2) अध्यक्ष को प्राधिकरण के पदाधिकारियों पर साधारण अधीक्षण तथा प्राधिकरण के कार्यों के संचालन और प्रबंधन के लिए आवश्यक निदेश जारी करने की शक्तियां होंगी।
- (3) अध्यक्ष, सीधे तौर पर या सदस्य-सचिव या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से, अनुमोदित बजट के समक्ष सभी भुगतान स्वीकृत और संवितरित कर सकेगा।
- (4) अध्यक्ष को सभी प्रस्तावों पर प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृतियां प्रदान करने की शक्तियां होंगी।
- (5) प्राधिकरण अधिनियम पर धारा 16 के अधीन अपनी कोई भी शक्ति सदस्य-सचिव को या प्राधिकरण के किसी अधिकारी को, जो भारत सरकार में अनुभाग अधिकारी से कम रैंक का न हो, प्रत्यायोजित कर सकेगा।
- (6) अध्यक्ष प्राधिकरण द्वारा लिए गए सभी विनिश्चयों को उचित रीति से क्रियान्वित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा।
- (7) महामारी और वैश्विक महामारी जैसी किसी वर्तमान और आसन्न आपातकालीन स्थिति के मामले में, विशेष रूप से वे जो मानव, पशु या पौधों को खतरा या क्षति पहुंचाते हैं, जैसा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किया गया है, अध्यक्ष शीघ्र अनुमोदन देने के लिए प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और प्राधिकरण की अगली बैठक के समक्ष स्वीकृति के लिए ऐसे सभी अनुमोदन प्रस्तुत करेगा।
- (8) अध्यक्ष ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कार्यों को निष्पादित करेगा जो उसे प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किए जाएं।

- 13. जैविक संसाधनों और उनसे सहबद्ध ज्ञान तक पहुंच के लिए प्रक्रिया.-** (1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, अनुसंधान या जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग के लिए जैविक संसाधनों और उनसे सहबद्ध ज्ञान तक पहुंच के लिए प्राधिकरण का अनुमोदन चाहता है तो वह प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर प्ररूप 1 में आवेदन करेगा और वाणिज्यिक उपयोग के लिए वह प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर प्ररूप 2 में आवेदन करेगा।
- (2) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 के लागू होने से पूर्व किसी जैविक संसाधन पर स्वामित्व रखता था, अनुसंधान, वाणिज्यिक उपयोग, जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- (3) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन राष्ट्रीय जैव विविधता निधि को इलेक्ट्रॉनिक अंतरण या डिजिटल भुगतान के रूप में विनिर्दिष्ट भुगतान सहित होना चाहिए।
- (4) प्राधिकरण जैव विविधता प्रबंधन समिति के परामर्श के पश्चात्, या तो सीधे या राज्य जैव विविधता बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषद के माध्यम से, और आवेदक व अन्य स्रोतों से ऐसी अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के बाद, जैसा अपेक्षित हो, और योग्य आवेदन के आधार पर, लाभ साझा करने सहित शर्तों और नियमों के अधीन अनुमोदन प्रदान कर सकता है, या पूर्ण रूप में आवेदन प्राप्त होने से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, जैसा उचित समझे, अस्वीकार कर सकता है:

परंतु यदि प्राधिकरण द्वारा मांगी गई अपेक्षित सूचना आवेदक द्वारा सूचना मांगने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और आवेदक को आवेदन निरस्त किए जाने के बारे में सूचित किया जाएगा:

परंतु यह और कि जैव विविधता प्रबंधन समिति, प्राधिकरण को अपने विचार संप्रेषित करने से पहले, जहां कहीं अपेक्षित हो, यथास्थिति उस संबंधित समुदाय, व्यक्ति या निकाय, से परामर्श कर सकेगी, जो जैव संसाधन पर स्वामित्व रखता है, ताकि उनकी पूर्व सूचित सहमति सुनिश्चित की जा सके:

परंतु यह भी कि वर्तमान या आसन्न आपातकालीन स्थिति के मामले में, प्राधिकरण आवेदन पर शीघ्रता से कार्रवाई करेगा।

(5) ऐसे जैविक संसाधनों तक पहुंच का अनुमोदन प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी और आवेदक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर समझौते के रूप में होगा:

परंतु, यदि आवेदक को सूचना दिए जाने पर, प्राधिकरण द्वारा प्रारूप करार की संसूचना की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, आवेदक करार पर हस्ताक्षर नहीं करता है, तो आवेदन निरस्त माना समझा जाएगा:

परंतु यह भी ऐसे निरस्त आवेदन पर नब्बे दिन की अवधि के भीतर उप-नियम (3) के अधीन नए आवेदन के लिए निर्दिष्ट शुल्क के आधे का भुगतान प्राप्त होने पर पुनः विचार किया जा सकता है।

(6) प्राधिकरण यदि यह समझता है कि अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है तो वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से किसी आवेदन को अस्वीकार कर सकता है:

परंतु आवेदन तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

(7) प्राधिकरण अपनी वेबसाइट पर सभी स्वीकृत या अस्वीकृत अनुमोदनों की सूचना देगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सूचना, जैसा कि अपेक्षित हो अन्य एजेंसियों के साथ साझा की जाए।

(8) प्राधिकरण द्वारा समझौते के निबंधनों और शर्तों के अनुपालन की निगरानी राज्य जैव विविधता बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषद, जैव विविधता प्रबंधन समिति या प्राधिकरण द्वारा समुचित समझी जाने वाली किसी अन्य अभिकरण को सम्मिलित करके की जाएगी।

14. जैविक संसाधनों और ऐसे जैविक संसाधनों से संबद्ध ज्ञान तक पहुंच को प्रतिबंधित करना.- (1) प्राधिकरण इस नियम के किसी भी उपबंध के संबंध में उचित समझी जाने वाली जांच करने के बाद निम्नलिखित कारणों से जैविक संसाधनों और/या ऐसे जैविक संसाधनों से संबद्ध ज्ञान तक पहुंच को प्रतिबंधित या निषिद्ध करने के लिए कदम उठाएगा, अर्थात: -

- (क) इस पहुंच का अनुरोध अधिनियम की धारा 38 के अधीन अधिसूचित प्रजातियों सहित किसी भी संकटग्रस्त और/या स्थानिक प्रजातियों के लिए है;
- (ख) ऐसी पहुंच के अनुरोध के परिणामस्वरूप स्थानीय समुदायों की आजीविका और/या सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;
- (ग) ऐसी पहुंच के अनुरोध के परिणामस्वरूप पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिसे नियंत्रित करना और कम करना कठिन हो सकता है;
- (घ) ऐसी पहुंच के लिए अनुरोध से आनुवंशिक क्षरण हो सकता है या अधिनियम की धारा 37 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों सहित पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों पर असर पड़ सकता है;

(ड) ऐसा अनुरोध राष्ट्रीय हित और भारत द्वारा किए गए अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के विपरीत प्रयोजनों के लिए संसाधनों के उपयोग हेतु किया गया है;

(च) अन्य कोई कारण जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के होते हुए भी, प्राधिकरण प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार तक, एक अवधि-विशेष के लिए उस उप-नियम के खंड (क) से (ड) के अधीन उल्लिखित कृषिकृत प्रजातियों के लिए अनुमति दे सकता है।

15. अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन आने वाले व्यक्तियों के साथ अनुसंधान के परिणामों को अंतरित करने या स्थानांतरित करने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया.- (1) कोई व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन आने वाले व्यक्तियों के साथ जैविक संसाधनों या उससे संबद्ध पारंपरिक ज्ञान से संबंधित अनुसंधान के किसी परिणाम को साझा करने या अंतरित करने का इरादा रखता है, वह प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर निम्नलिखित प्रपत्रों में आवेदन कर सकता है, यथा: -

(क) प्ररूप 3 अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन आने वाले व्यक्तियों के साथ वाणिज्यिक प्रयोजनों या अन्यथा अनुसंधान के परिणामों को साझा करने या अंतरित करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए।

(ख) प्ररूप 4 हस्तांतरिती (अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन आने वाले व्यक्ति) द्वारा अनुसंधान के परिणामों को आगे अनुसंधान के लिए उपयोग करने के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु;

(ग) प्ररूप 5 हस्तांतरिती (अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन आने वाले व्यक्ति) द्वारा वाणिज्यिक उपयोग हेतु अनुसंधान के परिणामों का उपयोग करने हेतु प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए;

(घ) प्ररूप 6 हस्तांतरिती (अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन आने वाले व्यक्ति) द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए अनुसंधान के परिणामों का उपयोग करने हेतु प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के लिए।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ राष्ट्रीय जैव विविधता निधि में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण या डिजिटल भुगतान प्ररूप में भुगतान किया गया शुल्क संलग्न करना होगा।

(3) प्राधिकरण, आवेदक और अन्य स्रोतों से, अपेक्षानुसार, अतिरिक्त सूचना एकत्रित करने के पश्चात्, तथा आवेदन के गुण-दोष के आधार पर, उप-नियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के नब्बे दिन की अवधि के भीतर, लाभ में हिस्सेदारी सहित, ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन जैसा उचित समझे, अनुमोदन प्रदान कर सकता है, या अस्वीकार कर सकता है :

परंतु यदि प्राधिकरण द्वारा मांगी गई अपेक्षित सूचना आवेदक के द्वारा सूचना मांगे जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो आवेदन निरस्त कर दिया जाना चाहिए और आवेदक को बंद होने के बारे में सूचित किया जाएगा।

परंतु आवेदन तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

(4) इस नियम के अधीन निर्दिष्ट अनुमोदन प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी और आवेदक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित, पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर समझौते के रूप में प्रदान किए जाएंगे :

यदि प्राधिकरण द्वारा प्रारूप करार की संसूचना की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, आवेदक को सूचना दिए जाने पर, करार पर हस्ताक्षर नहीं करता है, तो आवेदन निरस्त समझा जाएगा :

परंतु ऐसे बंद आवेदन को नब्बे दिन की अवधि के भीतर उप-नियम (2) के अधीन नए आवेदन के लिए निर्दिष्ट शुल्क के आधे का भुगतान प्राप्त होने पर पुनर्जीवित किया जा सकता है।

(5) यदि प्राधिकरण की यह राय है कि उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन किए गए रजिस्ट्रीकरण में निर्दिष्ट क्रियाकलापों अधिनियम के उद्देश्यों के लिए हानिकारक या प्रतिकूल हैं, तो वह आदेश द्वारा ऐसी किसी क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध या सीमित कर सकेगा।

(6) खंड (ख) उपनियम (1) के अधीन प्राधिकरण के पास रजिस्ट्री आवेदक प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित आवधिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

16. बौद्धिक संपदा अधिकारों के अनुदान से पूर्व प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण और पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया.-

(1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों के अनुदान से पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, यथा:-

(क) इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, भारत से प्राप्त जैविक संसाधन पर डिजिटल अनुक्रम सूचना सहित अनुसंधान या सूचना पर आधारित किसी आविष्कार, जिसमें भारत के बाहर के भंडारों में जमा जैविक संसाधन या उससे संबद्ध पारंपरिक ज्ञान भी सम्मिलित है, के लिए भारत में या बाहर किसी बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर प्ररूप 7 में आवेदन करते हुए, भारत में या बाहर किसी बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन करते समय भारत में या अन्यत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करने से पूर्व प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा;

(ख) खंड (क) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ राष्ट्रीय जैव विविधता कोष को इलैक्ट्रॉनिक अंतरण या डिजिटल भुगतान के रूप में संदत्त विनिर्दिष्ट शुल्क संलग्न किया जाएगा;

(ग) प्राधिकरण, आवेदक और अन्य स्रोतों से ऐसी अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करने के पश्चात्, जैसा उचित समझा जाए, और आवेदन के गुण-दोष से संतुष्ट होने पर, आवेदन प्राप्ति की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर या अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने पर, जो भी बाद में हो, अनुमोदन देने या अन्यथा के संबंध विनिश्चय करेगा, जो लाभ में हिस्सेदारी सहित ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन होगा, जैसा वह उचित समझे:

परंतु यदि प्राधिकरण द्वारा मांगी गई अपेक्षित सूचना आवेदक द्वारा सूचना मांगने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और आवेदक को ऐसे निरस्त होने के बारे में सूचित किया जाएगा।

(घ) अनुमोदन प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी और आवेदक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर समझौते के रूप में प्रदान किया जाएगा:

परंतु प्राधिकरण द्वारा प्रारूप करार की संसूचना की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, आवेदक को सूचना दिए जाने पर, करार पर हस्ताक्षर नहीं करता है, तो आवेदन निरस्त समझा जाएगा :

परंतु ऐसे बंद आवेदन को उपनियम 1 के खंड (ख) के अधीन नया आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विहित शुल्क की आधी राशि का नब्बे दिन की अवधि के भीतर भुगतान प्राप्त होने पर पुनर्जीवित किया जा सकेगा;

(ड) आवेदक बौद्धिक संपदा अधिकारों के अनुदान की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर प्राधिकरण को सूचित करेगा, ऐसा न होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित समझी जाने वाली कार्रवाई की जाएगी;

(च) प्राधिकरण, कारणों को लिखित रूप में दर्ज किए जाने के बाद किसी आवेदन को अस्वीकार कर सकता है यदि वह समझता है कि अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है:

परंतु आवेदन तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

(2) निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने से पूर्व पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, यथा:-

(क) अधिनियम की धारा 7 के अधीन निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति, जो भारत में या भारत के बाहर किसी बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन करता है, भारत से प्राप्त जैविक संसाधन पर डिजिटल अनुक्रम सूचना सहित अनुसंधान या सूचना पर आधारित किसी आविष्कार के लिए, जिसमें भारत के बाहर के भंडारों में जमा की गई जानकारी या उससे संबद्ध पारंपरिक ज्ञान भी शामिल है, भारत या विदेश में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए जाने से पहले, प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर प्ररूप 8 में रजिस्ट्रीकरण कराएगा ;

(ख) प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकरण के लिए खंड (क) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ राष्ट्रीय जैव विविधता निधि में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण या डिजिटल भुगतान के रूप में विनिर्दिष्ट शुल्क संलग्न किया जाएगा;

(ग) यदि प्राधिकरण की यह राय है कि ऐसा आविष्कार किसी समुदाय या व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा रखे गए ज्ञान तक अवैध तरीके से पहुंच का परिणाम है, तो प्राधिकरण न्यायनिर्णायक अधिकारी को क्षति के संबंध में उच्चतर जुर्माना लगाने की सिफारिश कर सकता है और साथ ही, जैसा भी मामला हो, मूल्यांकित या वसूल किए गए मूल्य के संबंध में भी;

(घ) आवेदक बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किये जाने के पैंतालीस दिन के भीतर प्राधिकरण को सूचित करेगा;

(ड) आवेदक रजिस्ट्रीकरण के समय यह वचन देगा कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यावसायीकरण से पूर्व प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा।

(3) अधिनियम की धारा 7 के अधीन निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यावसायीकरण के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

(क) उपनियम (2) के खंड (ड.) के अधीन निर्दिष्ट बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यावसायीकरण के समय, आवेदक को प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर प्ररूप 9 में आवेदन करके पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(ख) खंड (क) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ राष्ट्रीय जैव विविधता कोष को इलेक्ट्रॉनिक अंतरण या डिजिटल भुगतान के रूप में संदत्त विनिर्दिष्ट शुल्क संलग्न किया जाएगा;

(ग) प्राधिकरण आवेदक से या अन्य स्रोतों से ऐसी अतिरिक्त जानकारी जिसे वह उचित समझे प्राप्त करने के बाद और आवेदन के गुण के संतुष्ट होने पर, आवेदन की प्राप्त की तारीख या आवश्यक जानकारी के प्राप्त होने पर, इनमें से जो भी बाद में हो, एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर ऐसी शर्तों और दशाओं, जिसमें लाभ की साझेदारी भी शामिल है, के अधीन रहते हुए अनुमोदन दे सकता है अथवा जैसा वह उचित समझे, इसे रोक भी सकता है।

(घ) अनुमोदन प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी और आवेदक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर समझौते के रूप में प्रदान किया जाएगा:

प्राधिकरण द्वारा आवेदक को प्रारूप करार की संसूचना की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर करार पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो आवेदन रद्द समझा जाएगा:

बशर्ते कि ऐसे बंद आवेदन को नब्बे दिन की अवधि के भीतर खंड 3(ख) के अधीन नए आवेदन के लिए निर्दिष्ट शुल्क के आधे का भुगतान प्राप्त होने पर पुनर्जीवित किया जा सकेगा।

17. पहुंच या अनुमोदन का प्रतिसंहरण .- (1) प्राधिकरण किसी शिकायत के आधार पर या स्वतः नियम 13, 15, नियम 16 के उपनियम (1) और (3) तथा नियम 20 के अधीन दिए गए अनुमोदन को आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किसी करार या उसके किसी भाग को रद्द कर सकता है, यथा:-

- (i) इस उचित विश्वास के आधार पर कि जिस व्यक्ति को अनुमोदन प्रदान किया गया है, उसने झूठी या भ्रामक सूचना दी है या अधिनियम के किसी प्रावधान या जिन शर्तों पर अनुमोदन प्रदान किया गया था, उनका उल्लंघन किया है;
- (ii) जब अनुमोदन प्राप्त व्यक्ति समझौते की किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहा हो;
- (iii) व्यापक लोकहित में या पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए, या प्राधिकरण के ध्यान में लाए गए नए तथ्यों या सूचना के आधार पर।

(2) प्राधिकरण प्रत्येक प्रतिसंहरण -आदेश की एक प्रति राज्य जैव विविधता बोर्ड तथा संघ राज्यक्षेत्र जैव विविधता परिषद् और जैव विविधता प्रबंधन समिति को भेजेगा। जिससे संबंधित व्यक्ति की पहुंच पर रोक लगाने तथा यदि कोई क्षति हुई हो तो उसका आकलन करने तथा क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है।

18. किसी विदेशी देश से प्राप्त जैविक संसाधन या उससे संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के भारत में उपयोग की निगरानी और विनियमन के उपाय .- (1) कोई व्यक्ति जो किसी बाहरी देश से प्राप्त जैविक संसाधन या उससे संबद्ध पारंपरिक ज्ञान का भारत में अनुसंधान या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए या बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए उपयोग करने का इरादा रखता है, वह अधिनियम की धारा 36(क) के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर प्ररूप 10 में घोषणा प्रस्तुत करेगा।

(2) प्राधिकरण, अधिनियम की धारा 36(क) के उपबंधों के अनुसार, ऐसे जैविक संसाधन या उससे संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के उपयोगकर्ता से सुसंगत जानकारी प्राप्त करने के पश्चात्, उसे जैविक विविधता संबंधी अभिसमय के पहुंच और लाभ-साझाकरण क्लियरिंग हाउस पर अधिसूचित करेगा।

(3) प्रदाता देश के अनुरोध के आधार पर प्राधिकरण अधिनियम की धारा 36(क) के उपबंधों के अनुसार ऐसे उपयोग पर उचित उपाय करेगा।

19. संवर्धित औषधीय पौधों के लिए उत्पत्ति-प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया .- (1) इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत संवर्धित औषधीय पौधों तक पहुंच के लिए छूट का दावा करना चाहता है, वह संबंधित जैव विविधता प्रबंधन समिति से प्रारूप 11 में उत्पत्ति-प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भौतिक या डिजिटल रूप में स्व-घोषणा प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट स्व-घोषणा में आवेदक और कृषक का नाम और पता, सर्वेक्षण संख्या सहित भौगोलिक स्थिति, खेती के अधीन क्षेत्र की सीमा के साथ-साथ खेती की जा रही प्रजातियों और उनके भागों का ब्यौरा तथा उपयोग किए जा रहे जैविक संसाधनों की अनुमानित मात्रा सहित ब्यौरा अंतर्विष्ट होगा।

(3) आवेदन के साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भुगतान किया गया निर्दिष्ट शुल्क संलग्न किया जाएगा।-स्थानीय जैवविविधता कोष में धनराशि अंतरण या डिजिटल भुगतान द्वारा जमा की जा सकती है।

(4) जैवविविधता प्रबंधन समिति, औषधीय पौधों की खेती और कटाई के बाद के ब्यौरे तथा प्रारूप 12 में रखी गई पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों सहित आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर, अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) और उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट खेती किए गए औषधीय पौधों का उद्गम प्रमाण-पत्र पंद्रह दिन की अवधि के भीतर जारी करेगी:

परंतु यदि पंद्रह दिन की अवधि के भीतर उत्पत्ति-प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक संबंधित राज्य जैव विविधता बोर्ड से संपर्क कर सकता है और उसका निपटान सात दिन की अवधि के भीतर किया जा सकेगा:

परंतु यह और कि आवेदक, जैव विविधता प्रबंधन समिति या संबंधित राज्य जैव विविधता बोर्ड के बीच किसी विवाद की स्थिति में, उसे संबंधित राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को संदर्भित किया जाएगा और ऐसे मामले में प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत झूट का दावा करने के लिए औषधीय पौधों की उत्पत्ति के स्रोत को साबित करने का दायित्व अंतिम उपयोगकर्ता पर होगा।

20. भारतीय अनुसंधानकर्ता या संस्था द्वारा भारत के बाहर गैर-वाणिज्यिक अनुसंधान या आपातकालीन प्रयोजनों के लिए अनुसंधान करने की प्रक्रिया .- (1) कोई भी भारतीय अनुसंधानकर्ता या संस्था जो महामारी जैसी कतिपय वर्तमान या आसन्न आपात स्थितियों से निपटने के लिए अत्यावश्यक अध्ययन करने सहित गैर-वाणिज्यिक अनुसंधान करने के लिए जैविक संसाधन को भारत से बाहर ले जाने या भेजने का आशय रखता है, वह प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर प्रारूप 13 में आवेदन करेगा:

परंतु कि यदि उससे संबद्ध पारंपरिक ज्ञान को भी जैविक संसाधनों के साथ स्थानांतरित या ले जाया जाना हो तो संबंधित विदेशी संस्था द्वारा नियम 13 के अधीन प्राधिकरण का अनुमोदन लिया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ राष्ट्रीय जैव विविधता कोष को डिजिटल भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के रूप में भुगतान किया गया विनिर्दिष्ट शुल्क संलग्न किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण उपनियम (1) के अधीन आवेदन से संतुष्ट होने पर आवेदन प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर अपना अनुमोदन प्रदान करेगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त होने पर, आवेदक, भारत के बाहर जैविक संसाधन ले जाने या भेजने से पहले, जहां भी अपेक्षित हो, वाउचर नमूने निर्दिष्ट राष्ट्रीय निक्षेपगृहों में जमा करेगा और ऐसे जमा के प्रमाण की एक प्रति प्राधिकरण को पृष्ठांकित की जाएगी।

21. राष्ट्रीय जैव विविधता निधि का प्रबंधन और उपयोग .- (1) राष्ट्रीय जैव विविधता निधि का संचालन प्राधिकरण के अध्यक्ष या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे इस संबंध में प्राधिकृत किया जाए।

(2) राष्ट्रीय जैव विविधता निधि के दो पृथक खाते होंगे, एक धारा 27 की उपधारा 1 के खंड (क) से संबंधित तथा दूसरा अधिनियम की उपधारा (1) के खंड (ख) और (ग) के अधीन, जिसका उपयोग प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किए गए अनुसार धारा 27 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों के लिए किया जाएगा।

(3) उपार्जित मौद्रिक लाभ सहित सभी प्राप्तियां राष्ट्रीय जैव विविधता कोष में जमा की जाएंगी।

(4) प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र जैव विविधता परिषद के लिए निर्धारित किया जाने वाला लाभ बंटवारा, यथास्थिति, न्यूनतम दस प्रतिशत से अधिकतम पंद्रह प्रतिशत तक हो सकता है और शेष लाभ दावेदारों को या अन्य उपयोगों के लिए तब अंतरित किया जा सकता है, जब लाभ दावेदारों की पहचान नहीं की जाती है।

(5) प्राधिकरण निधि के उपयोग की निगरानी के लिए उपाय निर्दिष्ट कर सकता है।

22. अधिनियम की धारा 50 के अधीन विवादों के निपटारे के लिए अपील .- (1) यदि प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र जैव विविधता परिषद या बोर्डों और परिषदों के बीच किसी आदेश या निर्देश के कार्यान्वयन या किसी नीतिगत निर्णय के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो यथास्थिति व्यथित पक्षों में से कोई भी या प्राधिकरण या बोर्ड या परिषद, अधिनियम की धारा 50 के अधीन प्ररूप 14 में केंद्रीय सरकार को अपील कर सकेगा।

(2) राज्य जैव विविधता बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र जैव विविधता परिषद और किसी अन्य बोर्ड या परिषद के बीच अथवा बोर्डों या परिषदों के बीच किसी विवाद की स्थिति में, केंद्रीय सरकार उसे समाधान के लिए प्राधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगी।

(3) अपील ज्ञापन के साथ उस आदेश, निर्देश या नीतिगत विनिश्चय, जैसी भी स्थिति हो की एक प्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी होगी जिसको लेकर आवेदनकर्ता को शिकायत है और इसे ऑनलाइन तथा उक्त आदेश, निर्देश या नीतिगत विनिश्चय की तारीख से 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा।

परंतु यदि केन्द्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए अच्छा और पर्याप्त आधार था तो वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके, तीस दिन की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगी।

(4) अपील की सुनवाई के लिए सूचना प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर प्ररूप 15 में दी जाएगी।

(5) जहां कोई विवाद उपनियम (2) के अधीन प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जाता है, वहां प्राधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा और जहां तक साध्य होगा, उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिसका अनुसरण करने की केंद्रीय सरकार से इस नियम के अधीन अपेक्षा की जाती है।

(6) केंद्रीय सरकार या प्राधिकरण, अपीलकर्ता तथा अन्य पक्षकारों को सुनने के पश्चात् तथा अन्य सुसंगत तथ्यों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, साठ दिन की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

(7) किसी अपील का निपटारा करते समय, केंद्रीय सरकार या प्राधिकरण, यथास्थिति, आक्षेपित आदेश, निदेश या नीतिगत विनिश्चय को संशोधित या रद्द कर सकेगा।

23. न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच का तरीका .- (1) कोई भी न्यायनिर्णायक अधिकारी अधिनियम की धारा 55 में निर्दिष्ट उपबंधों के गैर-अनुपालन या उल्लंघन की शिकायत की जांच नहीं करेगा, जब तक कि शिकायत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से, सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ, या तो स्वप्रेरणा से या किसी अभ्यावेदन की प्राप्ति पर फाईल नहीं की जाती है।

- (2) शिकायत का प्रतिनिधित्व एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा, जो एक विधिक व्यवसायी होगा और वह प्राधिकृत अधिकारियों की ओर से उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा और मामला प्रस्तुत करेगा।
- (3) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी उपनियम (1) के अधीन मामले को न्यायनिर्णायक अधिकारी को अग्रेषित करने से पहले, उचित सम्यक् तत्परता बरतते हुए उस पर कार्यवाही करेगा, तथा सभी सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों को रिकार्ड पर लाएगा जिन्हें शास्ति अधिरोपित करने के लिए ध्यान में रखना आवश्यक है, तथा यह भी पता लगाएगा कि क्या यह न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक मामला है और प्राधिकृत अधिकारी मामले से संबंधित सभी सुसंगत दस्तावेज और तथ्य प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।
- (4) न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा जिसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 55 क के अधीन धारा 3 या धारा 4 या धारा 6 या धारा 7 के उपबंधों का गैर-अनुपालन या उल्लंघन आरोपित किया गया है, तथा उसके विरुद्ध मामले का विवरण देते हुए गैर-अनुपालन या उल्लंघन की प्रकृति स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेगा और ऐसा व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, विनिर्दिष्ट तारीख को, जो उस पर तामील की तारीख से पन्द्रह दिन से कम नहीं होगी और तीस दिन से अधिक नहीं होगी, ऐसे प्रारूप में जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जा सकता है, उपस्थित हो सकता है।
- (5) नोटिस में निर्दिष्ट तारीख को, व्यक्ति या उसका अधिकृत प्रतिनिधि न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।
- (6) यदि व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि आरोपों को स्वीकार करता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी अपने आदेश में ऐसी स्वीकृति का उल्लेख करेगा और दंड अधिरोपित करेगा तथा आदेश की एक प्रति संबंधित उपस्थित अधिकारी और उस व्यक्ति को भेजेगा जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है।
- (7) उपनियम (6) के अधीन न आने वाले मामलों में, न्यायनिर्णायक अधिकारी जांच के लिए तारीख नियत करेगा तथा मामले को प्रस्तुत करने के लिए संबंधित उपस्थित अधिकारी को इसकी सूचना देगा।
- (8) नियत तारीख पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उस व्यक्ति को ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा जिन्हें वह जांच के लिए संगत समझता है।
- (9) यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त कारण के बिना जैसाकि उपनियम (8) द्वारा अपेक्षित है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है या मना करता है तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच संबंधी कार्रवाई कर सकता है।
- (10) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उक्त अधिनियम की धारा 55ख के अधीन प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी के निष्कर्षों का भी उल्लेख कर सकेगा या उनकी सेवाओं का उपयोग, जहां आवश्यक हो, कर सकेगा।
- (11) ऐसी जांच करते समय, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को साक्ष्य या कोई दस्तावेज, जो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है, प्रस्तुत करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को समन करने और हाजिर करने की शक्ति होगी।
- (12) उप-नियम (11) के प्रयोजनों के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में विनिर्दिष्ट अनुसार सिविल न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात :-

(क) किसी भी व्यक्ति को समन और हाजिर करना और शपथ दिलाकर उसकी जांच करना;

- (ख) दस्तावेजों या अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की खोज और प्रस्तुत करने की मांग करना; और
- (ग) शपथ-पत्रों के संबंध में साक्ष्य प्राप्त करना।

(13) संबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा मामले की प्रस्तुति करने, उक्त व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रतिवाद और ऐसी सूचना, यथा आवश्यक, का अभिलेखन किए जाने पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या तो अभिकथन को खारिज कर देगा या ऐसा आदेश, जो वह ठीक समझे, देगा।

(14) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के सभी आदेश, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि ऐसे आदेश द्वारा शास्ति अधिरोपित की गई है या नहीं, आख्यापक आदेश होंगे।

(15) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी प्रत्येक मामले का न्यायनिर्णयन उप-नियम (7) के अधीन निर्धारित तारीख से नब्बे दिन के भीतर पूरा करेगा, जिसे पर्याप्त कारण होने पर नब्बे दिन की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

(16) यदि इस नियम के अधीन प्राप्त किसी शिकायत की विषय-वस्तु, उक्त मामले की प्राप्ति की तारीख को राष्ट्रीय हरित अधिकरण या सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी अन्य न्यायालय के समक्ष पहले से ही विचाराधीन है, तो इस नियम के अधीन कार्यवाहियां तब तक शुरू नहीं की जाएंगी जब तक कि ऐसे बाद वाले मामले का अंतिम रूप से निपटान नहीं हो जाता है और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी इस उप-नियम के अधीन कार्यवाहियों के स्थगन का आदेश नहीं दे देता।

(17) यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 या धारा 6 या धारा 7 के उपबंधों का अनुपालन करने में विफल रहा है तो वह उक्त अधिनियम की धारा 55 के उपबंधों के अनुसरण में यथोचित शास्ति अधिरोपित करेगा।

(18) यदि किसी अधिकरण या न्यायालय ने उप-नियम (16) के अधीन निर्दिष्ट कार्यवाहियों में इस आशय का आदेश पहले ही दे दिया है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी शास्ति के लिए कोई आदेश नहीं देगा।

(19) कोई व्यक्ति या प्रसुविधा का दावाकर्ता, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के बारे में किसी न्यायालय के समक्ष परिवाद करने का आशय रखता है, प्रपत्र 16 में कम से कम तीस दिन पहले इसकी सूचना केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकरण या प्राधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 61 के अधीन शिकायत करने के अपने आशय के बारे में ऑनलाइन या पावती प्राप्त कर रजिस्ट्रीकृत पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सूचित करेगा।

(20) सूचना प्राप्त करने से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर और प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट न होने पर, ऐसा व्यक्ति या हितलाभ दावाकर्ता, उक्त अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कर सकेगा।

परंतु केन्द्रीय सरकार या कोई प्राधिकरण या उस सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी, उक्त अधिनियम की धारा 61 के खंड(क) के अधीन न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए लिखित शिकायत कर सकेगा।

24. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश से अपील .- न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 52क के अधीन राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील कर सकेगा।

25. शास्ति की मात्रा अवधारित करते समय विचार किए जाने वाले कारक .- (1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी शास्ति की मात्रा अवधारित करने के लिए निम्नलिखित कारकों का यथोचित ध्यान रखेगा, अर्थात:-

- (क) उक्त अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप किए गए अनुपातहीन लाभ या अनुचित फायदे, जहां भी मात्रात्मक हो, की राशि;
- (ख) उक्त अधिनियम की धारा 55 में निर्दिष्ट उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति, एक लाख रुपए से कम नहीं होगी और पचास लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकेगी;
- (ग) ऐसे मामले, जिसमें हुई क्षति, उप-नियम (2) के अधीन अवधारित शास्ति की राशि से अधिक है, तो शास्ति हुई क्षति के अनुरूप होगी।
स्पष्टीकरण - इस खंड में अभिव्यक्त - क्षति में पर्यावरण की क्षति और प्रयुक्त जैविक संसाधन का मूल्य तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके उससे व्युत्पन्न उत्पादों का मूल्य शामिल है;
- (घ) विफल रहने या निरंतर उल्लंघन होने के मामले में, उप-नियम (2) या (3) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त अधिकतम एक करोड़ रुपए की अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित की जाएगी;
- (ङ) कोई अन्य चीजें, जो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा जैवविविधता के संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सुसंगत समझी जाएंगी।

- (2) संबंधित व्यक्ति या इकाई को मामले में सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।
- (3) उक्त अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति, उक्त अधिनियम की धारा 55 और राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 17 के अधीन राहत या मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व के अतिरिक्त होगी।

26. शास्ति की राशि का निक्षेपण .- इन नियमों के अधीन वसूली गई शास्तियों की समस्त राशियां, राष्ट्रीय जैवविविधता निधि में जमा की जाएंगी और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराधों से संबंधित शास्तियों की समस्त राशियां, यथास्थिति संबंधित राज्य जैवविविधता बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र जैवविविधता परिषद की जैवविविधता निधि, में जमा की जाएंगी।

**पहली अनुसूची
आवेदन प्ररूप और शुल्क**

क्र.सं.	आवेदन का प्रयोजन	आवेदन शुल्क
(1)	(2)	(3)
1.	उक्त अधिनियम की धारा 3(2) के अधीन आने वाले व्यक्तियों द्वारा अनुसंधान या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए जैविक संसाधनों या उससे संबद्ध ज्ञान तक पहुंच के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन	
	व्यष्टि के लिए	₹ 10,000.00
	इकाई के लिए	₹ 20,000.00

2.	उक्त अधिनियम की धारा 3(2) के अधीन आने वाले व्यक्तियों द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों या उससे संबद्ध ज्ञान तक पहुंच के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन	
	व्यष्टि के लिए	₹ 10,000.00
	इकाई के लिए	₹ 20,000.00
3.	वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए या अन्यथा व्यक्तियों द्वारा धारा 3(2) के अधीन अनुसंधान के परिणामों को साझा या हस्तांतरित करने के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन	
	व्यष्टि के लिए	₹ 5,000.00
	इकाई के लिए	₹ 10,000.00
4.	हस्तांतरिती (धारा 3(2) व्यक्ति) द्वारा आगे के अनुसंधान के लिए अनुसंधान के परिणामों का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के पास पूर्व रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन।	
	व्यष्टि के लिए	₹ 2,000.00
	इकाई के लिए	₹ 5,000.00
5.	हस्तांतरिती (धारा 3(2) व्यक्ति) द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए अनुसंधान के परिणामों का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन	
	व्यष्टि के लिए	₹ 10,000.00
	इकाई के लिए	₹ 20,000.00
6.	हस्तांतरिती (धारा 3(2) व्यक्ति) द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए अनुसंधान के परिणामों का उपयोग करने के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन	
	व्यष्टि के लिए	₹ 5,000.00
	इकाई के लिए	₹ 10,000.00
7.	उक्त अधिनियम की धारा 3(2) के अधीन आने वाले व्यक्तियों द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार स्वीकृत करने से पूर्व राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन	
	व्यष्टि के लिए	₹ 5,000.00
	इकाई के लिए	₹ 10,000.00
8.	उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन आने वाले व्यक्तियों द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार स्वीकृत करने से पूर्व राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।	
	व्यष्टि के लिए	₹ 2,000.00
	इकाई के लिए	₹ 5,000.00
9.	उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन आने वाले व्यक्तियों द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों के वाणिज्यीकरण के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन।	

	व्यष्टि के लिए	₹ 5,000.00
	इकाई के लिए	₹ 10,000.00
10.	भारत में किसी भी विदेशी से प्राप्त जैविक संसाधनों या संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के उपयोग की घोषणा के लिए प्रपत्र।	शून्य
11.	खेती किए गए औषधीय पौधों की उत्पत्ति का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन सह संरूप	₹ 200.00
12.	जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा अनुरक्षित किए जाने के लिए खेती किए गए औषधीय पौधों के ब्यौरे वाली पुस्तक का संरूप	शून्य
13.	गैर-वाणिज्यिक अनुसंधान या आपातकालीन प्रयोजनों के लिए अनुसंधान करने के लिए भारतीय अनुसंधानकर्ताओं/संस्थानों द्वारा जैविक संसाधनों को भारत के बाहर भेजने/ले जाने के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन।	₹ 1,000.00
14.	विवादों के निपटारे के लिए केंद्रीय सरकार के समक्ष अपील ज्ञापन का प्रपत्र	शून्य
15.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा उनके समक्ष हाजिर होने के लिए जारी की जाने वाली सूचना का संरूप	शून्य
16.	किसी भी व्यक्ति/लाभ दावाकर्ता द्वारा सूचना का संरूप	शून्य

दूसरी अनुसूची

[नियम 2(1) (छ) देखें]

प्ररूप- 1

{उक्त अधिनियम की धारा 3 और नियम 13(1) देखें}

उक्त अधिनियम की धारा 3(2) के अधीन आने वाले व्यक्तियों द्वारा अनुसंधान या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए जैविक संसाधनों या उससे संबद्ध ज्ञान तक पहुंच के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन

1	आवेदक का विवरण	
(i)	आवेदक की श्रेणी	(ड्रॉप डाउन मेनू) क. व्यष्टि ख. व्यष्टि और इकाई ग. इकाई
(ii)	आवेदक का नाम	
(iii)	आवेदक की स्थिति	(ड्रॉप डाउन मेनू) क. एनआरआई ख. गैर-भारतीय ग. उक्त अधिनियम की धारा 3(2) के अधीन आने वाली इकाई।

(iv)	आवेदक का पता (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक का पता)	
(v)	व्यष्टि/इकाई की विवरणिका	
(vi)	व्यवसाय की प्रकृति (आवेदक के इकाई होने पर लागू)	
(vii)	आवेदक के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि का ब्यौरा (आवेदक के इकाई होने पर लागू) (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक के पते के साथ नाम)	
(viii)	भारत में आवेदक से संपर्क के लिए व्यक्ति (यदि कोई हो) (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक के पते के साथ नाम)	
(2)	पहुंच प्राप्त करने के लिए आशयित जैविक संसाधनों और उससे संबंधित ज्ञान का ब्यौरा	
(i)	जैविक संसाधन का ब्यौरा	<p>(ड्रॉप डाउन मेनू)</p> <p>i. जैविक संसाधनों की प्रकृति (पौधा / पशु / रोगाणु / आनुवंशिक सामग्री / किस्म/ संकर)</p> <p>ii. सामान्य नाम</p> <p>iii. वैज्ञानिक नाम (जीनस और प्रजातियां / विविधता / नस्ल)</p> <p>iv. पौधे के भाग (बीज, तना, छाल, पत्ती, फूल, फल, जड़, प्रकंद, आनुवंशिक सामग्री, अर्क, रिसाव, आदि)</p> <p>v. प्रत्येक जैविक संसाधन की मात्रा किग्रा./ग्रा./मि. में)</p> <p>vi. पहुंच की अवधि (प्रत्याशित आरंभिक और अंतिम तारीख)</p> <p>vii. पहुंच की आवृत्ति (जैविक संसाधनों तक कितनी बार पहुंच प्राप्त की जाएगी)</p>

		<p>viii. पहुंच का स्रोत (वन्य / खेती / संस्थान / भंडारगृह / व्यापारी / बाजार)</p> <p>ix. भौगोलिक अवस्थिति (गांव, तालुक, जिला, राज्य)। यदि किसी व्यापारी/संस्थान से खरीदा गया है, तो उनका नाम, पता और संपर्क ब्यौरा दिया जाए; यदि भंडारगृह/संस्थान से खरीदा गया है, तो एकत्रण का स्रोत बताया जाए।</p>
(ii)	इससे संबद्ध ज्ञान के बारे में ब्यौरा :	
(क)	संबद्ध ज्ञान की प्रकृति (मौखिक/प्रलेखित)	
(ख)	पहुंच प्राप्त करने के लिए आशयित पारंपरिक ज्ञान का ब्यौरा (अधिकतम 100 शब्दों में)	
(ग)	पारंपरिक ज्ञान धारक (व्यक्ति/समुदाय) का नाम	
(घ)	पारंपरिक ज्ञान धारक (व्यक्ति/समुदाय) का पता	
(3)	अनुसंधान की प्रत्याशित अवधि	
(4)	प्रयोजन, जिसके लिए पहुंच अपेक्षित है, के साथ-साथ इसका उपयोग करते हुए किए जा रहे और किए जाने के लिए प्रत्याशित अनुसंधान का प्रकार और विस्तार	
(i)	अनुसंधान के बारे में संक्षिप्त विवरण	
(ii)	शोध के प्रत्याशित परिणाम	
(5)	अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों में भाग लेने वाले किसी संस्थान का ब्यौरा	
(i)	व्यक्ति या संस्थान का नाम	
(ii)	संपर्क ब्यौरा (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक का पता)	
(6)	लाभ सहभाजन का वरीय रीति	<p>i. मौद्रिक</p> <p>ii. गैर-मौद्रिक</p> <p>iii. दोनों</p>
(7)	पहुंच प्रदान किए गए जैविक संसाधनों और उससे संबद्ध ज्ञान के उपयोग से भारत/समुदायों को होने वाले लाभों का आकलन	

(8)	संगत समझी जाने वाली कोई अन्य जानकारी	
(9)	आवेदन शुल्क के प्रेषण का ब्यौरा (भुगतान की रीति, संव्यवहार आईडी, राशि, तारीख, आदि)	
घोषणा		
मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित जैविक संसाधनों के एकत्रण से संसाधनों की संधारणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; 2. प्रस्तावित जैविक संसाधनों के एकत्रण से कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ेगा; 3. प्रस्तावित जैविक संसाधन के एकत्रण से पारिप्रणालियों के लिए कोई जोखिम उत्पन्न पैदा नहीं होगा; और 4. प्रस्तावित जैविक संसाधनों और उससे संबद्ध ज्ञान के एकत्रण से स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 		
मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन प्रपत्र में दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है और इसका कोई भी भाग गलत नहीं है। प्रदान की गई किसी भी असत्य या गलत सूचना के लिए मैं/हम उत्तरदायी होंगे।		
स्थान		हस्ताक्षर
तारीख		नाम

प्ररूप- 2

{उक्त अधिनियम की धारा 3 और नियम 13(1) देखें}

उक्त अधिनियम की धारा 3(2) के अधीन आने वाले व्यक्तियों द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों या उससे संबद्ध ज्ञान तक पहुंच के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन

1	आवेदक का विवरण	
(i)	आवेदक की श्रेणी	(ड्रॉप-डाउन मेनू) क. व्यक्ति ख. व्यक्ति और इकाई ग. इकाई
(ii)	आवेदक का नाम	
(iii)	आवेदक की स्थिति	(ड्रॉप डाउन मेनू) क. एनआरआई ख. गैर-भारतीय ग. उक्त अधिनियम की धारा 3(2) के अधीन आने वाली इकाई
(iv)	आवेदक का पता (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक का पता)	

(v)	व्यष्टि/इकाई की विवरणिका	
(vi)	व्यवसाय की प्रकृति (आवेदक के इकाई होने पर लागू)	
(vii)	आवेदक के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि का ब्यौरा (आवेदक के इकाई होने पर लागू) (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक के पते के साथ नाम)	
(viii)	भारत में आवेदक से संपर्क के लिए व्यक्ति (यदि कोई हो) (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक के पते के साथ नाम)	
(2)	पहुंच प्राप्त करने के लिए आशयित जैविक संसाधनों और उससे संबद्ध ज्ञान का ब्यौरा	
(i)	जैविक संसाधन का ब्यौरा	(ड्रॉप डाउन मेनू) i. जैविक संसाधन की प्रकृति (पौधा/पशु/रोगाणु/आनुवंशिक सामग्री/किस्म/संकर) ii. साधारण नाम iii. वैज्ञानिक नाम (जीनस और प्रजातियां/विविधता/नस्ल) iv. पौधे के भाग (बीज, तना, छाल, पत्ती, फूल, फल, जड़, प्रकंद, आनुवंशिक सामग्री, अर्क, रिसाव, आदि) v. प्रत्येक जैविक संसाधन की मात्रा किग्रा./ग्रा./मिली. में) vi. पहुंच की अवधि (प्रत्याशित आरंभिक और अंतिम तारीख) vii. पहुंच का स्रोत (वन्य/खेती/संस्थान/ भंडारगृह/व्यापारी/बाजार) viii. भौगोलिक अवस्थिति (गांव, तालुक, जिला, राज्य)। यदि किसी व्यापारी/संस्थान से खरीदा गया है, तो उनका नाम, पता और संपर्क ब्यौरा दिया जाए; यदि भंडारगृह/संस्थान से खरीदा गया है, तो एकत्रण का स्रोत बताया जाए।
(ii)	इससे संबद्ध ज्ञान के बारे में ब्यौरा :	
(क)	संबद्ध ज्ञान की प्रकृति (मौखिक/प्रलेखित)	
(ख)	पहुंच प्राप्त करने के लिए आशयित पारंपरिक ज्ञान का ब्यौरा (अधिकतम 100 शब्दों में)	
(ग)	पारंपरिक ज्ञान धारक (व्यक्तिगत /समुदाय) का नाम	
(घ)	पारंपरिक ज्ञान धारक (व्यक्ति/ समुदाय) का पता	
(3)	प्रयोजन, जिसके लिए पहुंच अपेक्षित है, के साथ-साथ इसका उपयोग करते हुए किए जा रहे और किए जाने के लिए प्रत्याशित अनुसंधान का प्रकार और विस्तार	

(i)	वाणिज्यिक उपयोग के बारे में संक्षिप्त विवरण	
(ii)	वाणिज्यिक उपयोग की प्रत्याशित अवधि	
(4)	अनुसंधान या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के प्रयोजन हेतु प्राधिकरण से प्राप्त अनुमोदन का ब्यौरा	
(i)	एनबीए आवेदन संख्या	
(ii)	अनुमोदन की तारीख	
(iii)	राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अनुमोदन (करार के रूप में) की प्रति अपलोड करें	
(5)	लाभ सहभाजन का वरीय रीति	i. मौद्रिक ii. गैर-मौद्रिक iii. दोनों
(6)	उपलब्ध जैविक संसाधनों और उनसे संबंधित ज्ञान के उपयोग से भारत/समुदायों को मिलने वाले लाभों का आकलन	
(7)	कोई अन्य सुसंगत जानकारी	
(8)	आवेदन शुल्क के प्रेषण का विवरण (भुगतान की रीति, संव्यवहार आईडी, राशि, तिथि, आदि)	
घोषणा		
मैं/हम घोषणा करते हैं कि:		
1. प्रस्तावित जैविक संसाधन के एकत्रण से संसाधनों की संधारणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;		
2. प्रस्तावित जैविक संसाधन के एकत्रण से कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ेगा;		
3. प्रस्तावित जैविक संसाधन के एकत्रण से पारि-प्रणाली को कोई खतरा नहीं होगा; और		
4. प्रस्तावित जैविक संसाधन और उससे जुड़ी जानकारी से स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।		
मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि आवेदन प्रपत्र में दी गई सूचना मेरे/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और इसका कोई भी भाग गलत नहीं है। मैं/हम दी गई किसी भी असत्य या गलत जानकारी के लिए उत्तरदायी होंगे।		
स्थान		हस्ताक्षर
तारीख		नाम

प्ररूप- 3**{अधिनियम की धारा 4 और नियम 15(1)(क) देखें}**

वाणिज्यिक प्रयोजनों या अन्यथा के लिए अनुसंधान के परिणामों को धारा 3(2) के अधीन व्यक्तियों के साथ साझा करने या हस्तांतरित करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन

(1)	आवेदक का विवरण	
(i)	आवेदक की श्रेणी	(ड्रॉप-डाउन मेनू) क. व्यष्टि ख. व्यष्टि और इकाई ग. इकाई
(ii)	आवेदक का नाम	
(iii)	आवेदक की स्थिति	(ड्रॉप डाउन मेनू)

		क. भारतीय ख. एनआरआई ग. गैर-भारतीय घ. अधिनियम की धारा 3(2) के अधीन आने वाली इकाई ङ. अधिनियम की धारा 7 के अधीन आने वाली इकाई
(iv)	आवेदक का पता (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता)	
(v)	व्यष्टि/संस्था का प्रोफ़ाइल	
(vi)	कार्य की प्रकृति (यदि आवेदक कोई संस्था है तो लागू)	
(vii)	आवेदक के लिए अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण (यदि आवेदक कोई इकाई है तो लागू) नाम, डाक पता(पते) सहित पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर)	
(viii)	भारत में आवेदक का जानकार व्यक्ति (यदि कोई हो) (नाम, डाक पता(पते) सहित पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर)	
(2)	अनुसंधान के परिणाम का विवरण	
(i)	किए गए अनुसंधान के परिणामों का विवरण	
(ii)	हस्तांतरित या साझा किए जाने वाले अनुसंधान के परिणामों का विवरण और प्रकृति	
(3)	अनुसंधान में प्रयुक्त जैविक संसाधनों का विवरण	(ड्रॉप डाउन मेनू) i. जैविक संसाधन की प्रकृति (पौधे/पशु/सूक्ष्मजीव/आनुवंशिक सामग्री/किस्म/संकर) ii. सामान्य नाम iii. वैज्ञानिक नाम (जीनस और प्रजाति/किस्म/उपभेद) iv. पौधे के भाग (बीज, तना, छाल, पत्ती, फूल, फल, जड़, प्रकंद, आनुवंशिक सामग्री, अर्क, स्राव, आदि) v. पहुंच का स्रोत (जंगली/खेती/संस्था/भंडार/व्यापारी/बाजार)

		vi. भौगोलिक स्थिति (गांव, तालुका, जिला, राज्य)। यदि किसी व्यापारी संस्थान से खरीदा गया है, तो उनका नाम, पता और संपर्क विवरण प्रदान किया जाना चाहिए; यदि भंडार/संस्था से खरीदा गया है, तो एकत्रण का स्थान बताया जाना चाहिए।
(4)	शोध में प्रयुक्त पारम्परिक जानकारी (यदि कोई हो) का विवरण	
(i)	प्राप्त पारंपरिक ज्ञान का विवरण (100 शब्दों से अधिक नहीं)	
(ii)	पारंपरिक ज्ञान धारक (व्यक्तिगत समुदाय) का नाम	
(iii)	पारंपरिक ज्ञान धारक (व्यक्तिगत/समुदाय) का पता	
(iv)	समुदाय/व्यक्ति से प्राप्त सहमति, यदि कोई हो	
(5)	धारा 3(2) के व्यक्तियों द्वारा अनुसंधान करने के लिए प्राधिकरण से प्राप्त अनुमोदन का विवरण	
(i)	एनबीए आवेदन संख्या	
(ii)	अनुमोदन की तारीख	
(iii)	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा दी गई स्वीकृति (समझौते के रूप में) की प्रति अपलोड करें	
(6)	उस संस्था का विवरण जहाँ अनुसंधान और विकास के क्रिया कलाप किए गए	
(i)	उस संस्थान/संस्था का नाम और संपर्क विवरण प्रदान करें जहाँ अनुसंधान और विकास के क्रिया कलाप किए गए	
(ii)	संस्था का नाम	
(iii)	संपर्क विवरण (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता)	
(iv)	उस संस्थान/संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को जारी किए गए पत्र की एक प्रति संलग्न करें जहाँ अनुसंधान और विकास के कार्य किए गए।	
(7)	उस व्यक्ति/इकाई का विवरण जिसे अनुसंधान परिणाम हस्तांतरित या साझा किए जाने हैं।	
(i)	व्यष्टिक इकाई का नाम और संपर्क विवरण	
(ii)	हस्तांतरिती व्यक्ति द्वारा अनुसंधान परिणामों के इच्छित उपयोग का विवरण	
(8)	अनुसंधान के परिणामों को साझा करने या हस्तांतरण के लिए अनुमोदन चाहने वाले आवेदक	

	को मिलने वाले आर्थिक, वैज्ञानिक या अन्य लाभों का विवरण।	
(9)	प्रस्तावित प्राप्तकर्ता और आवेदक के बीच निष्पादित किसी समझौता ज्ञापन या समझौते का विवरण, जिसमें अनुसंधान के परिणामों को साझा करने या हस्तांतरित करने के लिए अनुमोदन मांगा गया हो (समझौता ज्ञापन/समझौते की प्रति, यदि कोई हो, अपलोड की जानी है।)	
(10)	कोई अन्य सुसंगत जानकारी	
(11)	आवेदन शुल्क के प्रेषण का विवरण (भुगतान की रीति, लेन-देन आईडी, राशि, तारीख आदि)	
घोषणा		
<p>मैं/हम घोषणा करते हैं कि:</p> <p>क. मैं/हम हस्तांतरिती को सूचित करते हैं कि यदि वह अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अनुसार आगे के अनुसंधान के लिए अनुसंधान के परिणामों का उपयोग करने का इरादा रखता है तो उसे प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकरण कराना होगा।</p> <p>ख. मैं/हम हस्तांतरिती को सूचित करते हैं कि यदि वह अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अनुसार वाणिज्यिक उपयोग के लिए या बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए अनुसंधान के परिणामों का उपयोग करने का इरादा रखता है तो उसे प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।</p> <p>ग. आवेदन में दी गई सूचना मेरे/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और इसका कोई भी भाग गलत नहीं है। मैं/हम प्रदान की गई किसी भी असत्य या गलत जानकारी के लिए उत्तरदायी होंगे।</p>		
स्थान		हस्ताक्षर
तारीख		नाम

प्ररूप- 4

{अधिनियम की धारा 4 और नियम 15(1)(ख) देखें}

हस्तांतरिती द्वारा आगे के अनुसंधान के लिए अनुसंधान के परिणामों का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(1)	आवेदक (हस्तांतरिती) का विवरण	
(i)	आवेदक की श्रेणी	(ड्रॉप डाउन मेनू) क. व्यक्ति ख. व्यक्ति और इकाई ग. इकाई
(ii)	आवेदक का नाम	

(iii)	आवेदक की स्थिति	(ड्रॉप डाउन मेनू) क. एनआरआई ख. गैर-भारतीय ग. अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत आने वाली संस्था
(iv)	आवेदक का पता (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता)	
(v)	व्यष्टि/संस्था का प्रोफ़ाइल	
(vi)	व्यवसाय की प्रकृति (यदि आवेदक एक इकाई है तो लागू)	
(vii)	संगठन का भारतीय रुपये में कारोबार (यदि आवेदक एक इकाई है तो लागू)	
(viii)	आवेदक के लिए अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण (यदि आवेदक एक इकाई है तो लागू) (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता)	
(ix)	भारत में जानकार व्यक्ति (यदि कोई हो तो) (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता)	
(2)	अधिनियम की धारा 4 और 20 के अधीन हस्तांतरणकर्ता या उस व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण से प्राप्त अनुमोदन का विवरण जिससे अनुसंधान के परिणाम प्राप्त किए गए हैं	
(i)	व्यक्ति/इकाई/संस्था का नाम	
(ii)	पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता	
(iii)	एनबीए आवेदन संख्या	
(iv)	अनुमोदन की तारीख	
(v)	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा दी गई स्वीकृति (समझौते के रूप में) की प्रति अपलोड करें	
(3)	आवेदक द्वारा की जाने वाली शोध क्रियाकलापों के बारे में संक्षिप्त विवरण	
(4)	अनुसंधान में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्थान का विवरण	
(i)	व्यक्ति या संस्थान का नाम	
(ii)	संपर्क विवरण (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता)	

(5)	अनुसंधान की अपेक्षित अवधि	
(6)	अनुसंधान के अपेक्षित परिणाम	
(7)	अनुसंधान के प्राप्त परिणामों के उपयोग पर प्रस्तावित शोध से भारत/समुदायों को मिलने वाले लाभ	
(8)	प्रासंगिक मानी जाने वाली कोई अन्य जानकारी	
(9)	आवेदन शुल्क के प्रेषण का विवरण (भुगतान का तरीका, लेन-देन आईडी, राशि, तारीख आदि)	
घोषणा		
<p>क. मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि आवेदन पत्र में दी गई सूचना मेरे/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और इसका कोई भी भाग गलत नहीं है।</p> <p>ख. मैं/हम प्रदान की गई किसी भी असत्य या गलत जानकारी के लिए उत्तरदायी होंगे।</p> <p>ग. मैं/हम प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत में प्राधिकरण को अनुसंधान क्रियाकलापों में हुई प्रगति की घोषणा करेंगे।</p> <p>घ. मैं/हम अधिनियम की धारा 4 और 6 के अनुसार क्रमशः भारत के भीतर या बाहर अनुसंधान के प्राप्त परिणामों के वाणिज्यिक उपयोग या बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के समय प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करेंगे।</p>		
स्थान		हस्ताक्षर
तारीख		नाम

प्ररूप- 5

{अधिनियम की धारा 4 और नियम 15(1)(ग) देखें}

अनुसंधान के परिणामों को हस्तांतरिती द्वारा वाणिज्यिक उपयोग हेतु क्रियाकलापों करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन।

(1)	आवेदक (स्थानांतरिती) का विवरण	
(i)	आवेदक की श्रेणी	(ड्रॉप डाउन मेनू) क. व्यष्टि (व्यष्टियों) ख. व्यष्टि (व्यष्टियों) और इकाई/ इकाईयां ग. इकाई/इकाईयां
(ii)	आवेदक का नाम	
(iii)	आवेदक की स्थिति	(ड्रॉप डाउन मेनू) क. एनआरआई ख. गैर-भारतीय ग. अधिनियम की धारा 3(2) के अधीन आने वाली संस्था
(iv)	आवेदक का पता	

	(पिन कोड, ईमेल, मोबाइल, वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता)	
(v)	व्यक्ति/संस्था का विवरण	
(vi)	व्यवसाय की प्रकृति (यदि आवेदक एक इकाई है तो लागू)	
(vii)	संगठन का टर्नओवर भारतीय रुपये में (यदि आवेदक एक इकाई है तो लागू)	
(viii)	अधिकृत प्रतिनिधि (यदि आवेदक कोई इकाई है तो लागू) (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल, वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता)	
(ix)	भारत में जानकार व्यक्ति (यदि कोई हो) (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल, वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता)	
(2)	अधिनियम की धारा 4 और 20 के अधीन हस्तांतरणकर्ता या उस व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण से प्राप्त अनुमोदन का विवरण जिससे अनुसंधान के परिणाम प्राप्त किए गए हैं	
(i)	व्यक्ति/इकाई/इकाई का नाम	
(ii)	पिन कोड सहित डाक पता	
(iii)	ई-मेल आईडी, मोबाइल, वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर	
(iv)	एनबीए आवेदन संख्या	
(v)	अनुमोदन की तारीख	
(vi)	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा दी गई स्वीकृति (समझौते के रूप में) की प्रति अपलोड करें	
(3)	आवेदक द्वारा की जाने वाली वाणिज्यिक क्रियाकलाप के बारे में संक्षिप्त विवरण	
(4)	वाणिज्यिक उपयोग की अपेक्षित अवधि	
(5)	अनुसंधान के प्राप्त परिणामों के वाणिज्यिक उपयोग से भारत/समुदायों को मिलने वाले अपेक्षित परिणाम और लाभ	
(6)	प्रासंगिक मानी जाने वाली कोई अन्य जानकारी	

(7)	आवेदन शुल्क के प्रेषण का विवरण (भुगतान का तरीका, लेनदेन आईडी, राशि, तारीख, आदि)	
घोषणा		
<p>क. मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि आवेदन पत्र में दी गई सूचना मेरे/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और इसका कोई भी भाग गलत नहीं है।</p> <p>ख. मैं/हम दी गई किसी भी असत्य या गलत जानकारी के लिए उत्तरदायी होंगे।</p>		
स्थान		हस्ताक्षर
तारीख		नाम

प्ररूप- 6

{अधिनियम की धारा 4 और नियम 15(1)(घ) देखें}

हस्तांतरिती द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए अनुसंधान के परिणामों का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन।

(1)	आवेदक (स्थानांतरिती) का विवरण	
(i)	आवेदक की श्रेणी	(ड्रॉप डाउन मेनू) क. व्यक्ति ख. व्यक्ति और संस्था ग. इकाई
(ii)	आवेदक का नाम	
(iii)	आवेदक की स्थिति	(ड्रॉप डाउन मेनू) क. अनिवासी भारतीय (एनआरआई) ख. गैर-भारतीय ग. अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत आने वाली इकाई
(iv)	आवेदक का पता (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल, वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता)	
(v)	व्यक्ति/ इकाई का प्रोफाइल	
(vi)	व्यवसाय की प्रकृति (यदि आवेदक कोई इकाई है तो लागू)	
(vii)	भारतीय रुपए में संगठन का टर्नओवर (यदि आवेदक कोई इकाई है तो लागू)	

(viii)	अधिकृत प्रतिनिधि (यदि आवेदक कोई इकाई है तो लागू) (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल, वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता)	
(ix)	पेटेंट वकील/संपर्क व्यक्ति का विवरण (पिन कोड, ई-मेल, मोबाइल, वैकल्पिक मोबाइल और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता)	
(2)	उस हस्तान्तरणकर्ता का विवरण जिससे अनुसंधान के परिणाम प्राप्त किये गये हैं	
(i)	व्यक्ति/ इकाई /संस्था का नाम	
(ii)	पिन कोड सहित डाक पता	
(iii)	ई-मेल आईडी, मोबाइल, वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर	
(3)	हस्तांतरणकर्ता या उस व्यक्ति द्वारा जिससे अनुसंधान अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत के परिणाम प्राप्त किए गए हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से प्राप्त अनुमोदन का विवरण	
(i)	एनबीए आवेदन संख्या	
(ii)	अनुमोदन की तारीख	
(iii)	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा दी गई स्वीकृति (समझौते के रूप में) की प्रति अपलोड करें	
(4)	आविष्कार का विवरण	
(i)	आविष्कार का शीर्षक	
(ii)	आविष्कार का सार/ब्यौरा	
(iii)	उस पेटेंट कार्यालय का ब्यौरा जहां आवेदक उक्त आविष्कार के लिए पेटेंट आवेदन दायर करना चाहता है	
(iv)	क्या वर्तमान आविष्कार के लिए आज की तारीख तक भारत में या भारत के बाहर कोई बौद्धिक संपदा अधिकार आवेदन दायर किया गया है	
(5)	आवेदन शुल्क के प्रेषण का विवरण (भुगतान की रीति, लेनदेन आईडी, राशि, तारीख, आदि)	
(6)	कोई अन्य जानकारी जो सुसंगत मानी जाए	
घोषणा		
क.	मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और इसका कोई भी भाग असत्य नहीं है।	
ख.	मैं/हम किसी भी गलत या अनुचित जानकारी के लिए उत्तरदायी होंगे।	
स्थान तारीख		हस्ताक्षर नाम

प्ररूप- 7

{अधिनियम की धारा 6(1) एवं नियम 16(1)(क) देखें}

अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करने से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन।

(1)	आवेदक का विवरण	
(i)	आवेदक की श्रेणी	(ड्रॉप डाउन मेनू) क. व्यक्ति ख. व्यक्ति और इकाई ग. इकाई
(ii)	आवेदक का नाम (पेटेंट आवेदन के अनुसार)	
(iii)	आवेदक की स्थिति	(ड्रॉप डाउन मेनू) क. अनिवासी भारतीय(एनआरआई) ख. गैर-भारतीय ग. अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत आने वाली इकाई
(iv)	आवेदक का पता (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता)	
(v)	व्यक्ति/इकाई का प्रोफाइल	
(vi)	व्यवसाय की प्रकृति (यदि आवेदक एक इकाई है तो लागू)	
(vii)	अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण (यदि आवेदक कोई इकाई है तो लागू) (नाम, पिन कोड सहित डाक पता, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर)	
(viii)	पेटेंट वकील/संपर्क व्यक्ति का विवरण (यदि लागू हो) (नाम, पिन कोड सहित डाक पता, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर)	
(2)	अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से प्राप्त अनुमोदन का ब्यौरा	
(i)	एनबीए आवेदन संख्या	
(ii)	अनुमोदन की तारीख	
(iii)	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा दी गई स्वीकृति (समझौते के रूप में) की प्रति अपलोड करें	
(3)	अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों में शामिल किसी अन्य संगठन का ब्यौरा	

(4)	आविष्कार का ब्यौरा	
(i)	आविष्कार का शीर्षक	
(ii)	आविष्कार का क्षेत्र	ड्रॉप डाउन (कृषि-रसायन, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन, खाद्य, दवा, कपड़ा, जैव-रसायन, बहुलक प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव-चिकित्सा इंजीनियरिंग, कृषि इंजीनियरिंग, पारंपरिक ज्ञान जैव प्रौद्योगिकी, पारंपरिक ज्ञान रसायन या कोई अन्य प्रासंगिक क्षेत्र)
(iii)	आविष्कार का सार/ब्यौरा (एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं)	
(iv)	उस पेटेंट कार्यालय का विवरण जहां आवेदक उक्त आविष्कार के लिए पेटेंट आवेदन दायर करना चाहता है	[ड्रॉप डाउन मेनू में डाले जाने वाले देशों के नाम]
(v)	वर्तमान आविष्कार के लिए आज की तारीख तक भारत में या भारत के बाहर कोई पेटेंट आवेदन दायर किया गया है	हां /नहीं
(vi)	यदि (v) का उत्तर 'हां' है, तो विवरण प्रदान किया जाए:	
	क्रम सं. देश का नाम [ड्रॉप डाउन मेनू]	पेटेंट कार्यालय जिसमें आवेदन दायर किया गया है [ड्रॉप डाउन मेनू]
	पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तारीख	पेटेंट आवेदन संख्या
आज की तारीख के अनुसार आवेदन की स्थिति (दायर/प्रकाशित/परीक्षाधीन/सुनवाई के अधीन/स्वीकृत) [ड्रॉप डाउन मेनू]	यदि प्रदान किया गया हो तो पेटेंट संख्या और अनुदान की तारीख	
(5)	आविष्कार में उपयोग किए गए/दावा किए गए जैविक संसाधन का विवरण	क. उपयोग किए गए जैविक संसाधन(ओं) की प्रकृति (पौधे/पशु/सूक्ष्मजीव/कवक/शैवाल और अन्य) [ड्रॉप डाउन] ख. सामान्य नाम ग. वैज्ञानिक नाम (वंश और प्रजाति/किस्म/उपभेद) घ. पौधे के भाग (संपूर्ण पौधा, बीज, तना, छाल, पत्ती, फूल, फल, जड़, प्रकंद, आदि) [ड्रॉप डाउन]

		<p>ड. प्राप्ति का स्रोत (बाजार/व्यापारी/वन्य/स्व-कृषि/भंडार/अन्य विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए) [ड्रॉप डाउन]</p> <p>च. भौगोलिक स्थिति (गांव, तालुका, जिला, राज्य)। यदि व्यापारी/संस्था से खरीदा गया है, तो इकाई का नाम, पता और संपर्क विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। यदि भंडार/संस्था से खरीदा गया है, तो संग्रह की उत्पत्ति प्रदान की जानी चाहिए।</p>
(6)	इससे संबंधित किसी भी पारंपरिक ज्ञान, जहां तक पहुंच हो, का विवरण	
(i)	इससे संबंधित पारंपरिक ज्ञान का विवरण, जहां तक पहुंच हो, (एक सौ शब्दों से अधिक नहीं)	
(ii)	इससे संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के धारक(धारकों) का नाम (व्यष्टि/समुदाय)	
(iii)	पारंपरिक ज्ञान धारक व्यक्ति/समुदाय का पता)	
(iv)	किसी अन्य स्रोत से प्राप्त उससे संबंधित पारंपरिक ज्ञान	
(7)	कोई अन्य जानकारी जो प्रासंगिक मानी जाए	
(8)	आवेदन शुल्क के प्रेषण का विवरण (भुगतान का तरीका, लेनदेन आईडी, राशि, तिथि, आदि)	
घोषणा		
मैं/हम घोषणा करते हैं कि:		
क. आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा इसका कोई भी भाग असत्य नहीं है।		
ख. मैं/हम किसी भी गलत या अनुचित जानकारी के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।		
ग. नियम 16 के अधीन, स्वीकृत पेटेंट का व्यवसायीकरण करते समय जैविक संसाधनों और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है।		
स्थान तारीख		हस्ताक्षर नाम

प्ररूप- 8

{अधिनियम की धारा 6(1क) एवं नियम 16(2) (क देखें)}

अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करने से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(1)	आवेदक का विवरण	
(i)	आवेदक की श्रेणी	(ड्रॉप डाउन मेनू) क. व्यक्ति ख. व्यक्ति और इकाई ग. इकाई
(ii)	आवेदक का नाम (पेटेंट आवेदन के अनुसार)	
(iii)	आवेदक की स्थिति	(ड्रॉप डाउन मेनू) क. भारतीय ख. अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत आने वाली इकाई
(iv)	आवेदक का पता (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता)	
(v)	व्यक्ति/इकाई का प्रोफाइल	
(vi)	व्यवसाय की प्रकृति (यदि आवेदक एक इकाई है तो लागू)	
(vii)	अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण (यदि आवेदक कोई इकाई है तो लागू) (नाम, पिन कोड सहित डाक पता, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर)	
(viii)	पेटेंट वकील/संपर्क व्यक्ति का विवरण (यदि लागू हो) (नाम, पिन कोड सहित डाक पता, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर तथा लैंडलाइन नंबर)	
(2)	आविष्कार का विवरण	
(i)	आविष्कार का शीर्षक	
(ii)	आविष्कार का क्षेत्र	ड्रॉप डाउन (कृषि-रसायन, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन, खाद्य, दवा, कपड़ा, जैव

						रसायन, बहुलक प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव चिकित्सा इंजीनियरिंग, कृषि इंजीनियरिंग, पारंपरिक ज्ञान जैव प्रौद्योगिकी, पारंपरिक ज्ञान रसायन या कोई अन्य सुसंगत क्षेत्र)
(iii)	आविष्कार का सार/विवरण (एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं)					
(iv)	उस पेटेंट कार्यालय का विवरण जहां आवेदक उक्त आविष्कार के लिए पेटेंट आवेदन दायर करना चाहता है			[ड्रॉप डाउन मेनू में डाले जाने वाले देशों के नाम]		
(v)	क्या वर्तमान आविष्कार के लिए आज की तारीख तक भारत में या भारत के बाहर कोई पेटेंट आवेदन दायर किया गया है					
(vi)	यदि (v) का उत्तर 'हां' है, तो विवरण प्रदान किया जाए:					
	क्रम सं.	दिश का नाम [ड्रॉप डाउन मेनू]	पेटेंट कार्यालय जिसमें आवेदन दायर किया गया है [ड्रॉप डाउन मेनू]	पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तारीख	पेटेंट आवेदन संख्या	
3)	आविष्कार में उपयोग किए गए/दावा किए गए जैविक संसाधन का ब्यौरा			<p>क. उपयोग किए गए जैविक संसाधन(ओं) की प्रकृति (पौधे/पशु/सूक्ष्मजीव/कवक/शैवाल/अन्य) [ड्रॉप डाउन]</p> <p>ख. सामान्य नाम</p> <p>ग. वैज्ञानिक नाम (जीनस और प्रजाति/किस्म/उपभेद)</p> <p>घ. पौधे के भाग (संपूर्ण पौधा, बीज, तना, छाल, पत्ती, फूल, फल, जड़, प्रकंद, आदि)</p> <p>ड. पहुंच का स्रोत (बाज़ार/व्यापारी/वन्य/स्व-कृषि/भंडार/अन्य)</p> <p>च. भौगोलिक स्थिति (गांव, तालुका , जिला, राज्य)। यदि व्यापारी/इकाई से खरीदा गया है, तो इकाई का नाम, पता और संपर्क विवरण प्रदान</p>		

		किया जाना चाहिए। यदि भंडार/इकाई से खरीदा गया है, तो संग्रह कि स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए।
(4)	प्राप्त पारंपरिक जानकारी का ब्यौरा, यदि कोई हो	
(i)	प्राप्त पारंपरिक ज्ञान का विवरण (100 शब्दों से अधिक नहीं)	
(ii)	पारंपरिक जानकारी धारक का नाम (व्यक्तिगत समुदाय)	
(iii)	पारंपरिक जानकारी धारक का पता (व्यक्तिगत/समुदाय)	
(iv)	किसी अन्य स्रोत से प्राप्त उससे संबंधित पारंपरिक ज्ञान	
(5)	अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलाप में शामिल किसी भी संगठन का ब्यौरा	
(6)	कोई अन्य जानकारी जो प्रासंगिक मानी जाए	
(7)	आवेदन शुल्क के प्रेषण का विवरण (भुगतान का तरीका, लेनदेन आईडी, राशि, तारीख, आदि)	
घोषणा		
मैं/हम घोषणा करते हैं कि:		
क. आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा इसका कोई भी भाग असत्य नहीं है।		
ख. मैं/हम किसी भी गलत या अनुचित जानकारी के लिए उत्तरदायी होंगे।		
ग. अधिनियम की धारा 6(1ख) और नियम के नियम 16(3) के अनुसार पेटेंट के व्यावसायीकरण के समय प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करूंगा/करेंगे।		
स्थान		हस्ताक्षर
तारीख		नाम

प्ररूप- 9

[अधिनियम की धारा 6(1ख) एवं नियम 16(3)(क) देखें]

अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यावसायीकरण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (रजिस्ट्रीकरण के बाद) से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन

(1)	आवेदक का विवरण	
(i)	आवेदक की श्रेणी	(ड्रॉप डाउन मेनू) क. व्यक्ति/ व्यक्तियों ख. व्यक्ति/व्यक्तियों और इकाई (इकाईयां) ग. इकाई (इकाईयां)
(ii)	आवेदक का नाम (पेटेंट आवेदन के अनुसार)	
(iii)	आवेदक की स्थिति	(ड्रॉप डाउन मेनू)

		क) भारतीय ख) अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत आने वाली इकाई
(iv)	आवेदक का पता (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता)	
(v)	व्यष्टि/संस्था की प्रोफाइल	
(vi)	व्यवसाय की प्रकृति (यदि आवेदक एक इकाई है तो लागू)	
(vii)	प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण (यदि आवेदक कोई इकाई है तो लागू) (नाम, पिन कोड सहित डाक पता, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर)	
(viii)	पेटेंट अटॉर्नी/व्यक्ति से संपर्क का विवरण (यदि लागू हो) (नाम, पिन कोड सहित डाक पता, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर)	
(2)	बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करने से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के साथ किए गए पंजीकरण का विवरण	
(i)	एनबीए रजिस्ट्रीकरण संख्या	
(ii)	आविष्कार का शीर्षक	
(iii)	पेटेंट कार्यालय/देशों का विवरण जिनमें आज की तारीख तक पेटेंट प्रदान किए गए हैं (पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी पेटेंट प्रमाण-पत्र की प्रति अपलोड की जानी है)	[ड्रॉप डाउन में शामिल देशों की सूची]
(iv)	भारतीय पेटेंट कार्यालय में प्रस्तुत नवीनतम प्रपत्र-27 की प्रति अपलोड करें, यदि कोई हो	
(v)	क्या रजिस्ट्रीकरण में दिए गए जैविक संसाधनों के विवरण तथा इस आवेदन में दी गई जैविक संसाधनों की सूची एक ही है या भिन्न है?	हां/नहीं
		यदि नहीं, तो नीचे दिए गए जैविक संसाधनों का ब्यौरा प्रस्तुत करें: क. उपयोग किए गए जैविक संसाधन (संसाधनों) की प्रकृति (पौधे/पशु/सूक्ष्मजीव/कवक/शैवाल/अन्य) [ड्रॉप डाउन] ख. सामान्य नाम

		<p>ग. वैज्ञानिक नाम (जीनस और प्रजाति/किस्म/उपभेद)</p> <p>घ. पौधे के भाग (संपूर्ण पौधा, बीज, तना, छाल, पत्ती, फूल, फल, जड़, प्रकंद, आदि)</p> <p>ङ. पहुंच का स्रोत (बाजार/व्यापारी/जंगली/स्व-खेती/भंडार/अन्य)</p> <p>च. भौगोलिक स्थिति (गांव, तालुका, जिला, राज्य)। यदि व्यापारी/संस्थान से खरीदा गया है, तो इकाई का नाम, पता और संपर्क विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। यदि भंडारण/संस्थान से खरीदा गया है, तो संग्रहण की उत्पत्ति का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।</p>
(3)	व्यावसायीकरण का विवरण	
(i)	प्रत्येक देश का विवरण जहां आविष्कार का व्यावसायीकरण किया जाना है	<p>i. देश का नाम (ड्रॉप डाउन)</p> <p>ii. पेटेंट संख्या</p> <p>iii. व्यावसायीकरण की रीति (लाइसेंसिंग/असाइनमेंट/स्व-निर्माण/विशेष पेटेंट अधिकारों का अकेले हस्तांतरण/कोई अन्य रीति)</p> <p>iv. प्रत्येक लाइसेंसधारी/असाइनकर्ता /हस्तांतरिती/किसी अन्य व्यक्ति का विवरण (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पत्तों के साथ नाम)</p> <p>v. व्यावसायीकरण की अवधि (वर्षों में)</p> <p>vi. सृजित राजस्व की राशि, यदि कोई हो/सृजित होने की संभावना हो</p>
(4)	कोई अन्य जानकारी जो सुसंगत मानी जाए	
(5)	आवेदन शुल्क के प्रेषण का विवरण (भुगतान का तरीका, लेनदेन आईडी, राशि, तारीख, आदि)	

घोषणा

मैं/हम घोषणा करते हैं कि :

आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा इसका कोई भी भाग झूठा नहीं है।

क.मैं/हम किसी भी गलत या अनुचित जानकारी के लिए उत्तरदायी होंगे।

ख.अधिनियम की धारा 7 के अनुसार वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक संसाधन और/या उससे संबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक पहुंचने के लिए संबंधित राज्य जैव विविधता बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषद को पूर्व सूचना प्रदान की जाएगी।

स्थान :

हस्ताक्षर :

तारीख :

नाम :

प्ररूप- 10

{अधिनियम की धारा 36क और नियम 18(1) देखें}

किसी अन्य देश से प्राप्त जैविक संसाधन(संसाधनों) और/या संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के भारत में उपयोग की घोषणा संबंधी प्ररूप

क्र.सं.	विवरण	
(1)	व्यक्ति या संस्था का नाम	
(2)	आवेदक की श्रेणी	क. व्यक्ति ख. व्यक्ति और इकाई ग. इकाई
(3)	आवेदक की स्थिति	(ड्रॉप डाउन मेनू) क. भारतीय ख. एनआरआई ग. गैर-भारतीय घ. अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत आने वाली इकाई ङ. अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत आने वाली इकाई
(4)	पूर्ण पता (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता)	

(5)	प्रयुक्त जैविक संसाधन(संसाधनों) का विवरण	
(i)	जैविक संसाधन का वैज्ञानिक और सामान्य नाम	
(ii)	वह देश जहां से जैविक संसाधन(संसाधनों) तक पहुंच बनाई गई थी	
(iii)	क्या वह देश जिससे जैविक संसाधन प्राप्त किए गए थे, नागोया प्रोटोकॉल का पक्षकार है	हां/नहीं (कृपया जो भी लागू हो उसे चिह्नित करें)
(6)	क्या जैविक संसाधन के मूल देश के सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया है	हां/नहीं [देश की ड्रॉप डाउन सूची]
(i)	अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र के एबीएस-सीएच विशिष्ट पहचानकर्ता का विवरण (यदि उपलब्ध हो)।	
(ii)	यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जा सकती है	
	(क) जैविक संसाधन का स्रोत	
	(ख) जैविक संसाधन(संसाधनों) के उपयोग का उद्देश्य	i. अनुसंधान ii. वाणिज्यिक उपयोग iii. बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करना iv. अन्य
(iii)	दायर किए गए पेटेंट आवेदनों का विवरण, यदि कोई हो	
घोषणा		
मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उस देश की पूर्व सूचित सहमति और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के उपबंधों का अनुपालन किया है जहां से जैविक संसाधन प्राप्त किए गए हैं।		
मैं/हम घोषणा करते हैं और सत्यनिष्ठा से पुष्टि करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है।		
स्थान :		
तारीख :		आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप- 11

{अधिनियम की धारा 7 और नियम 19(1) देखें}

खेती की जाने वाली औषधीय पौधों के लिए मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंधी आवेदन सह प्रारूप
(जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा जारी किया जाएगा)

<p>विशिष्ट पहचान संख्या (बीएमसी द्वारा विनिर्दिष्ट अल्फा संख्यात्मक) कोड: राज्य/जिला/मंडल/तालुक/कस्बा/गांव/बीएमसी/वर्ष/कंपनी का नाम/संख्यात्मक संख्या</p>

क्र.सं.	विवरण	:	आवेदक द्वारा भरा जाना है
(1)	जैव विविधता प्रबंधन समिति का नाम	: (गांव या शहर/जिला/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
(2)	आवेदक का नाम	:	
(3)	पूर्ण पता (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता)	:	
(4)	उपयोग की जाने वाली प्रजातियों और किस्मों का नाम	:	क. साधारण नाम ख. वैज्ञानिक नाम (जीनस और प्रजाति/किस्म/उपभेद, (यदि ज्ञात हो) ग. पार्स
(5)	कृषक/किसान का नाम	:	
(6)	पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता	:	
(7)	खेती योग्य क्षेत्र के भू-निर्देशांक	:	(यदि ज्ञात हो)
(8)	भूमि का सर्वेक्षण क्रमांक	:	
(9)	औषधीय पौधों की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल का विस्तार (एकड़ में)	:	
(10)	उगाए जाने वाले औषधीय पौधों की अनुमानित मात्रा जिसके लिए प्रमाण पत्र आवश्यक है	:	(किलोग्राम/किंटल/टन/गठरी में) - सूखा वजन या - गीला वजन
(11)	अनुमति का उद्देश्य	:	
(12)	अनुमति की अवधि	:	{.....(माह) से.....(माह) तक}
(13)	औषधीय पौधों की कीमत (प्रति किलोग्राम /किंटल/टन/गठरी)	:	

मैं/हम घोषणा करते हैं और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही है।

स्थान :

हस्ताक्षर :

तारीख :

नाम :

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी/ कारोबार/व्यक्ति/संस्थान द्वारा किए गए अनुरोध की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और औषधीय पौधों का क्षेत्र में भौतिक सत्यापन किया गया है। आवेदन पत्र में दी गई जानकारी जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा रखी गई संबंधित पुस्तकों [पृष्ठ संख्या... क्रम संख्या.... तारीख....] से सत्यापित की गई है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त औषधीय पौधे संवर्धित स्रोत से हैं और जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 7, इन नियमों के नियम 19 के साथ पठित, के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।

यह प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख से दो वर्ष तक वैध है।

तारीख :

(नाम)

स्थान :

बीएमसी के प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

मुहर

प्ररूप- 12

{अधिनियम की धारा 7 और नियम 19(4) देखें}

जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा संधारित की जाने वाली औषधीय पौधों की खेती के विवरण वाली पुस्तक का प्रारूप

..... जैव विविधता प्रबंधन समिति, पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय

(जहां भी लागू हो, बताएं कि क्या यह क्षेत्र पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार (पेसा) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत आता है)

क्र.सं.	किसानों/व्यक्तियों/इकाइयों का पूर्ण विवरण जिसमें डाक पता, मोबाइल, ई-मेल आदि शामिल हैं।	उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति जहां खेती की जा रही है, जिसमें क्षेत्र का नाम, विस्तार, भू-निर्देशांक, खेती की अवधि आदि शामिल हैं।	खेती की जाने वाली औषधीय पौधों का विवरण जिसमें सामान्य और वानस्पतिक नाम, खेती की अवधि, प्रति हेक्टेयर औसत उपज शामिल है।	मात्रा/ प्रमाण पत्र जारी होने से पहले उपलब्ध मात्रा, लगभग, [1. गीला वजन या 2. सूखा वजन]
1	2	3	4	5

वह मात्रा/आयतन जिसके लिए वर्तमान प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है। [1. गीला वजन या 2. सूखा वजन]	वर्तमान प्रमाण पत्र जारी होने के बाद शेष मात्रा/आयतन (कटाई हेतु शेष क्षेत्र की सीमा सहित)	प्राप्तकर्ता का विवरण जिसमें सम्पूर्ण संपर्क विवरण, संग्रह का उद्देश्य शामिल है	जारी किये गये प्रमाण पत्र की विशिष्ट पहचान संख्या तथा तारीख	जैव विविधता प्रबंधन समिति के सचिव या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और शहरी स्थानीय निकाय के अध्यक्ष या जैव विविधता प्रबंधन समिति के सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
6	7	8	9	10

प्ररूप-13

{नियम 20(1) देखें}

भारतीय शोधकर्ताओं/संस्थाओं द्वारा गैर-वाणिज्यिक अनुसंधान या आपातकालीन उद्देश्यों के लिए अनुसंधान करने हेतु जैविक संसाधनों को भारत से बाहर भेजने/ले जाने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन

(1) आवेदक का विवरण	
(i) आवेदक की श्रेणी	(ड्रॉप डाउन मेनू) (क) व्यक्ति शोधकर्ता (ख) संस्थान
(ii) आवेदक का नाम एवं पदनाम	
(iii) आवेदक का पता (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता)	
(iv) संस्थान का नाम	
(2) भारत में संस्थान का विवरण	
(i) संस्थान का नाम	
(ii) संस्थान का पता (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता)	
(3) भारत में कार्यस्थल पर पर्यवेक्षक या संस्थान प्रमुख का नाम	
(i) पर्यवेक्षक या संस्थान प्रमुख का नाम तथा पूरा पता	
(ii) पर्यवेक्षक या संस्थान प्रमुख का पदनाम	
(4) उस संस्थान या संगठन के पर्यवेक्षक या प्रमुख का विवरण जो भारत के बाहर प्रस्तावित अनुसंधान या जैविक संसाधनों के प्राप्तकर्ता का मार्गदर्शन करता है	
(i) श्रेणी (जैविक संसाधन प्राप्त करने वाला व्यक्ति या संस्थान/संगठन या व्यक्ति)	
(ii) भारत के बाहर संस्थान या प्राप्तकर्ता के पर्यवेक्षक या प्रमुख का नाम	
(iii) संचार के लिए पूरा पता	

(5)	अनुसंधान को समर्थन देने वाली वित्त पोषण अभिकरण का नाम और विवरण, यदि कोई हो	
(6)	प्रस्तावित अनुसंधान का विवरण	
(i)	अनुसंधान का संक्षिप्त विवरण	
(ii)	अनुसंधान में विदेशी शोधकर्ता/संस्था की भूमिका और भागीदारी, यदि कोई हो	
(iii)	इस शोध से भारत और शोधकर्ता को होने वाले लाभ	
(7)	अनुसंधान के लिए साथ ले जाने या भेजे जाने हेतु प्रस्तावित जैविक संसाधनों का विवरण	
(i)	<p>क. साधारण नाम</p> <p>ख. वैज्ञानिक नाम</p> <p>ग. जैविक संसाधन की प्रकृति</p> <p>घ. पौधे के भाग (बीज, तना, छाल, पत्ती, फूल, फल, जड़, प्रकंद, आनुवंशिक सामग्री, अर्क, स्राव, आदि)</p> <p>ङ. मात्रा (संख्या/शीशी/किलोग्राम में)</p> <p>च. भौगोलिक स्थिति (गाँव, तालुका, जिला, राज्य)।</p> <ul style="list-style-type: none"> • यदि व्यापारी/संस्थान से खरीदा गया है तो व्यापारी का नाम, पता और संपर्क विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। • यदि संग्रह/संस्थान से प्राप्त किया गया है, तो संग्रह का उद्गम स्थान बताना होगा। 	
(ii)	भारत के बाहर किए जाने वाले अनुसंधान की अपेक्षित अवधि	
(8)	यदि यह आपातकालीन उद्देश्य के लिए है, तो कृपया विवरण निर्दिष्ट करें	
घोषणा		
<p>मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति.....उम्र.....निवासी.....स्थायी पहचान पत्र संख्या.....(आधार कार्ड/पासपोर्ट आदि) के साथ घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और सत्य है।</p> <p>मैं एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि जैविक संसाधनों का उपयोग केवल आवेदन में बताए गए उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा।</p> <p>मैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना अपने सहयोगी की सुविधा/प्रयोगशाला में किसी भी जैविक संसाधन को साझा/प्रदान/भाग नहीं लूंगा/छोड़ूंगा।</p> <p>मैं, अपने पर्यवेक्षक और सहयोगी के साथ, व्यक्तिगत रूप से और अलग-अलग घोषणा करता हूँ कि हम वाणिज्यिक उपयोग नहीं करेंगे, न ही इस शोध में उपयोग किए गए जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के आधार पर किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार का दावा करेंगे।</p> <p>यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो हम पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से निवेदन करेंगे। इस क्रियाकलाप से उत्पन्न होने वाले परिणाम, प्रक्रिया, उत्पाद या अन्य परिणाम राष्ट्रीय जैव विविधता</p>		

प्राधिकरण के साथ शोध के दौरान और उसके पूरा होने पर सुसंगत दस्तावेजों और प्रकाशनों की प्रतियों के साथ साझा किए जाएंगे।

हस्ताक्षर:

तारीख:

स्थान:

पर्यवेक्षक/संस्थान प्रमुख द्वारा घोषणा

मैं, (संस्थान का नाम) के रूप में कार्यरत हूँ तथा पुष्टि करता हूँ कि श्री/डॉ./श्रीमती/सुश्री द्वारा प्रदान किया गया विवरण सत्य एवं सही है।

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर:

पदनाम:

आधिकारिक मुहर :

प्राप्तकर्ता/सहयोगी द्वारा घोषणा

मैं, (संस्थान/संगठन का नाम) के रूप में कार्यरत हूँ, प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं या मेरी संस्थान/संगठन, (संस्थान का नाम) द्वारा भेजे गए या श्री/डॉ./श्रीमती/सुश्री..... द्वारा लाए जा रहे जैविक संसाधनों का उपयोग आवेदन में बताए गए प्रयोजनों के लिए किया जाएगा और अध्ययन पूरा होने के बाद उक्त जैविक संसाधनों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाएगा या अध्ययन पूरा होने पर जैविक संसाधनों को यथास्थिति उस संस्थान को वापस भेज दिया जाएगा जहां से जैविक संसाधन प्राप्त किए गए थे, या जैसा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय किया जाए। मैं, या जिस संस्थान से मैं संबद्ध हूँ, तत्काल आवेदन के अधीन किसी भी स्वामित्व का दावा नहीं करूंगा और न ही आवेदक, संबद्ध संस्थान और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना जैविक संसाधनों, व्युत्पन्नो या अन्य ऐसे घटकों पर किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार का दावा करूंगा।

हस्ताक्षर:.....

पदनाम.....

आधिकारिक मुहर.....

प्ररूप-14

(अधिनियम की धारा 50 एवं नियम-22(1) देखें)

अपील ज्ञापन का प्ररूप

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष

या

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (यथास्थिति)

(जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 50 के अंतर्गत अपील का ज्ञापन)

अपील संख्या _____ 20

_____ अपीलकर्ता

बनाम

_____ प्रतिवादी (यथास्थिति, यहां प्राधिकरण/बोर्ड/परिषद का नाम और विवरण, उल्लेख करें)

अपीलकर्ता निम्नलिखित तथ्यों और आधारों पर प्रतिवादी द्वारा पारित तारीख _____ के आदेश के विरुद्ध अपील का यह ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहता है:

1. तथ्य:

(यहां मामले के तथ्यों का संक्षेप में उल्लेख किया गया है):

2. पृष्ठभूमि:

(यहां उन आधारों का उल्लेख करें जिन पर अपील की जा रही है):

i.)

ii.)

iii.)

3. मांगी गई राहत:

i)

ii)

iii)

4. याचिका:

क) उपरोक्त दी गई जानकारी के आलोक में, अपीलकर्ता सादर याचना करता है कि प्रतिवादी के आदेश/निर्णय को रद्द/रद्द किया जाए।

ख) प्रतिवादी द्वारा तैयार की गई नीति/दिशानिर्देश/विनियमों को
जाए _____

_____ सीमा तक रद्द/संशोधित/निरस्त किया

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर
मुहर सहित
पता:

स्थान: _____

तारीख: _____

सत्यापन

मैं अपीलकर्ता, यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।
दिनांक _____ को सत्यापित।

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित

पता

अपीलकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

संलग्नक: 1. उस आदेश/निर्देश/नीति विनिश्चय की प्रमाणित प्रति अपलोड करें जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

प्ररूप-15

{अधिनियम की धारा 50 और नियम 22(4) देखें}

सुनवाई के लिए उपस्थित होने हेतु नोटिस का प्रारूप

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष

या

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (यथास्थिति)

अपील संख्या _____ 20

_____ अपीलकर्ता

बनाम

प्रतिवादी के बीच में :

सूचना

कृपया ध्यान दें कि अपीलकर्ता द्वारा आदेश/निर्देश/नीति विनिश्चय (विवरण दें) के विरुद्ध दायर की गई उपरोक्त अपील की सुनवाई तारीख _____ को _____ बजे नियत की गई है।
 अपील के साथ दायर अपील ज्ञापन और अन्य अनुलग्नकों की प्रतियां आपके संदर्भ के लिए संलग्न हैं।

कृपया ध्यान दें कि यदि आप अपील की सुनवाई की उक्त तिथि (या बाद में नियत की गई अन्य तारीख) पर उपस्थित होने में असफल रहते हैं, तो अपील का अंतिम रूप से एकपक्षीय निपटारा कर दिया जाएगा।

अपीलीय प्राधिकारी की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (सील)

तारीख:

स्थान :

प्ररूप-16

{अधिनियम की धारा 61(ख) और नियम 24(19)(ख) देखें}

किसी व्यक्ति/लाभ दावेदार द्वारा नोटिस का प्रारूप

पावती सहित रजिस्ट्री डाक द्वारा

श्री _____

_____ द्वारा

सेवा में,

विषय: जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61(ख) के अंतर्गत नोटिस

चूंकि जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अपराध द्वारा किया गया है/किया जा रहा है।

2. मैं/हम जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61(ख) के अंतर्गत तीस दिन का नोटिस देता हूँ/दिते हैं कि मैं/हम अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए के विरुद्ध न्यायालय में शिकायत दर्ज कराने का आशय रखते हैं।

3. मेरे/हमारे नोटिस के समर्थन में, मैं/हम साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं:

1.....

2.....

3.....

स्थान: _____

तारीख: _____

हस्ताक्षर

स्पष्टीकरण:

- (1) यदि नोटिस किसी कंपनी के नाम से दिया जाना है, तो कंपनी की ओर से नोटिस पर हस्ताक्षर करने के लिए व्यक्ति को अधिकृत करने वाला दस्तावेजी साक्ष्य नोटिस के साथ संलग्न किया जाएगा।
- (2) कथित दोषी का नाम और पता दिया जाना चाहिए। प्राधिकरण की मंजूरी के बिना जैविक संसाधन/पारंपरिक ज्ञान/अनुसंधान/जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग/बौद्धिक संपदा अधिकार/पेटेंट प्राप्त करने के मामले में, इसका ब्यौरा और वाणिज्यिक उपयोग, यदि कोई हुआ है, प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (3) कथित उल्लंघन/दोष की जांच करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य में फोटोग्राफ, तकनीकी रिपोर्ट आदि शामिल होंगे।

[फा. सं. सीएस-सी12018/3/2020-सीएस-III]

रघु कुमार कोडाली, वैज्ञानिक 'जी',

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2024

G.S.R. 665(E).—In exercise of the powers conferred by section 62 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003) and in supersession of the Biological Diversity Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Biological Diversity Rules, 2024.

(2) They shall come into force on expiry of sixty days from the date of their notification in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Act” means the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003);
- (b) “Authority” means the National Biodiversity Authority established under sub-section (1) of section 8 of the Act;
- (c) "Adjudicating Officer" means any officer appointed under section 55A of the Act;
- (d) “Biodiversity Management Committee” means a Biodiversity Management Committee established under sub-section (1) of section 41 of the Act;
- (e) “Chairperson” means the Chairperson of the Authority;
- (f) “fee” means any fee as specified in the First Schedule to these rules;
- (g) “Form” means a Form specified under the Second Schedule to these rules;
- (h) “Member” means a member of the Authority and includes the Chairperson and the Member Secretary;
- (i) “Member-Secretary” means a full time Secretary of the Authority, or of the State Biodiversity Board or of the Union territory Biodiversity Council, as the case may be.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Manner of selection and appointment of Chairperson.— (1) The Chairperson shall be appointed by the Central Government.

(2) Every appointment of Chairperson under sub-rule (1) shall be made either on deputation basis including short-term contract or by selection from outside the Government and in case, the appointment is through deputation from the Government or a short-term contract, the applicant shall not be below the rank of Additional Secretary to the Government of India.

4. Term of office of the Chairperson.— (1) The Chairperson shall hold office for a term of three years' from the date of publication of appointment and shall be eligible for re-appointment:

Provided that no Chairperson shall hold office as such after he attains the age of sixty-five years or his term of office expires whichever is earlier.

(2) The Chairperson may resign from the office by giving one-month notice in writing to the Central Government.

5. Pay and allowances.— (1) A Chairperson shall be entitled to a pay equivalent to that of a Secretary to the Government of India.

(2) In case, a retired person is appointed as Chairperson, pay shall be fixed in accordance with the extant orders of the Central Government as applicable to such persons.

(3) A Chairperson shall be entitled to such allowances, leave, pension, provident fund, medical facilities, rent free accommodation or house rent allowance, other perquisites, as are admissible to the officers of the Central Government of equivalent rank.

6. Term of office and allowances of non-official Members.— (1) Every non-official member shall hold office for a term not exceeding three years at a time from the date of publication of appointment of such member in the Official Gazette.

(2) Every non-official member attending the meeting of the Authority shall be entitled to sitting allowance, travelling expenses, daily allowance and such other allowances as are applicable to non-official member of Commissions and Committees of the Central Government attending the meetings of such Commission or Committee.

7. Filling of vacancies of non-official Members.— (1) A non-official member may resign from office at any time by giving one month notice in writing addressed to the Central Government under intimation to the Chairperson.

(2) On acceptance of the resignation by the Central Government or on the expiry of the period of notice, the seat of that member in the Authority shall become vacant.

(3) A casual vacancy of a non-official member shall be filled up by a fresh nomination and the person nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term of the member in whose place such member was nominated.

8. Removal of the Members.— No Member shall be removed from office on any ground specified in section 11 of the Act, without conducting an inquiry by the Central Government and without giving such member a reasonable opportunity of being heard.

9. Member-Secretary.— (1) The Central Government shall appoint a Member-Secretary to the Authority.

(2) The Member-Secretary shall be entitled to pay equivalent to that of a Joint Secretary to the Government of India.

(3) The terms and conditions of appointment of the Member-Secretary shall be determined by the Central Government.

(4) The Member-Secretary shall be responsible for convening the meetings of the Authority, maintenance of the records of the proceedings of the Authority and such other matters as may be assigned to him by the Authority or by the Chairperson.

(5) The Member-Secretary shall be in-charge of all the papers and records of the Authority and shall be responsible for their safe custody.

(6) All directions, resolutions, orders and instructions issued by the Authority generally shall be under the seal and signature of the Member-Secretary or any other officer authorised by the Chairperson in this behalf.

10. Meetings of Authority.— (1) The Authority shall meet at least once in three months in a year at the Headquarters of the Authority or at such place as may be decided by the Chairperson.

(2) The Chairperson shall, upon a written request from not less than six members of the Authority or upon a direction of the Central Government, call a special meeting of the Authority.

(3) The members shall be given at least fifteen days' notice for holding an ordinary meeting and at least three days' notice for holding a special meeting specifying the purpose, the time and the place at which such meeting is to be held:

Provided that the Chairperson may authorise convening an emergency meeting of the Authority by giving a short notice to the members for considering and taking decisions on urgent matters.

(4) Every meeting shall be presided over by the Chairperson and in the absence of the Chairperson, a presiding officer to be elected in the presence of Member-Secretary from amongst the members present.

(5) The decisions of the Authority at a meeting shall, if necessary, be taken by a simple majority of the members present and voting and the Chairperson or in absence of the Chairperson, the member presiding shall have a second or casting vote.

(6) Each member including the Member-Secretary shall have one vote.

(7) The quorum at every meeting of the Authority shall be seven.

(8) A member shall be entitled to bring forward any matter for the consideration of the Authority in its meeting of which he has given ten days' notice or the Chairperson in his discretion permits to do so.

(9) Notice of the meeting may be given to the members by the Member-Secretary of the Authority electronically or in such other manner as deemed fit in the circumstances of the case.

11. General functions of Authority. – The Authority may,-

- (a) administer the National Biodiversity Fund;
- (b) sanction grants to the State Biodiversity Boards or Union territory Biodiversity Councils and Biodiversity Management Committees for specific purposes;
- (c) decide on the format and contents of the mutually agreed terms of the various agreements to be executed between the parties embodying the approvals of the Authority;
- (d) provide technical and legal advice, clarifications and guidance to the State Biodiversity Boards or Union territory Biodiversity Councils for implementing the provisions of the Act;
- (e) coordinate the activities of the State Biodiversity Boards and the Union territory Biodiversity Councils;
- (f) specify the electronic and/ or manual formats of the People's Biodiversity Register and lay down the procedure for documentation of information related to biodiversity, its periodic updating, securely maintaining it in an electronic or digitised form and for sharing of such information;
- (g) develop databases and documentation systems for biological resources and traditional knowledge associated thereto through People's Biodiversity Registers in a given geographical area;
- (h) provide guidance and technical support to the Biodiversity Management Committees through the State Biodiversity Board or Union territory Biodiversity Council or directly, if required for preparation, validation and maintenance of Biodiversity Registers;
- (i) report to the Central Government about the functioning of the Authority and implementation of the Act;
- (j) inspect any area and examine documents in connection with the implementation of the Act;
- (k) collect, compile and publish technical and statistical data, manuals, codes or guides relating to biodiversity including conservation, sustainable use of its components, and fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources and knowledge associated thereto;
- (l) sponsor studies, research, investigations, projects, workshops, seminars, conferences, etc., to achieve the objectives of the Act;
- (m) create awareness and organise training and capacity building programmes for all stakeholders including the line departments and academic, scientific and research institutions for achieving the objectives of the Act;
- (n) prepare the annual budget, maintain proper accounts and other relevant records, and prepare an annual statement of accounts in such form, as may be prescribed by the Central Government;
- (o) frame regulations governing the recruitment and conditions of service of the officials of the Authority;
- (p) engage consultants and advisors, for a specific period, not exceeding three years, for providing assistance to the Authority for the effective discharge of its functions:

Provided that if it is necessary and expedient to engage any consultant or advisor beyond a period of three years, the Authority shall seek prior approval of the Central Government.

- (q) recommend creation of posts, periodic revision of recruitment rules, pay and allowances and terms and conditions of service to the Central Government for effective discharge of the functions by the Authority;
- (r) function as a Competent National Authority for the purposes of Nagoya Protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the Convention on Biological Diversity;
- (s) adjudicate the disputes of State Biodiversity Boards and Union territory Biodiversity Councils as referred to by the Central Government;
- (t) lay down model guidelines for adjudicating disputes of the Biodiversity Management Committees by the State Biodiversity Boards or Union territory Biodiversity Councils;
- (u) develop procedures, in consultation with the State Biodiversity Boards or Union territory Biodiversity Councils, National Medicinal Plants Board, or any other authority as deemed appropriate, for seeking exemption under sub-section (1) of section 7 of the Act on production of a certificate of origin of cultivated medicinal plants;
- (v) suggest guidelines for framing rules by the State Government or Union territory Administration for conservation and management of the areas of biodiversity importance notified as biodiversity heritage sites;
- (w) formulate model guidelines for collection of fee by the Biodiversity Management Committees for accessing biological resources from their jurisdiction;
- (x) facilitate the Biodiversity Management Committees, whenever necessary, for providing prior informed consent by the local communities for access to biological resources and the traditional knowledge associated thereto;
- (y) develop a online Information Technology portal for the discharge of its various functions under the Act in a transparent and accountable manner.

12. Powers and duties of Chairperson. – (1) The Chairperson shall have overall control of the day-to-day activities of the Authority.

(2) The Chairperson shall have the powers of general superintendence over the officials of the Authority and issuing necessary directions for the conduct and management of the functions of the Authority.

(3) The Chairperson, either directly or through the Member-Secretary or any other officer of the Authority authorised for the purpose, may sanction and disburse all payments against the approved budget.

(4) The Chairperson shall have powers for granting administrative, financial and technical sanctions to all the proposals.

(5) The Authority may delegate any of its power under section 16 of the Act to the Member-Secretary or to any officer of the Authority not below the rank of a Section Officer in the Government of India.

(6) The Chairperson shall take all necessary measures for the implementation of all decisions taken by the Authority in proper manner.

(7) In case of any present and imminent emergency situations like epidemics and pandemics particularly those that threaten, or damage human, animal or plant health as determined at national and international level, the Chairperson may exercise the powers of the Authority for granting expeditious approvals and shall place all such approvals before the next meeting of the Authority for approval.

(8) The Chairperson shall exercise such other powers and perform such other functions as may be delegated to him by the Authority or the Central Government from time to time.

13. Procedure for access to biological resources and knowledge associated thereto. – (1) Any person, referred to in sub-section (2) of section 3 of the Act, seeking approval of the Authority for access to biological resources and knowledge associated thereto for research or for bio-survey and bio-utilisation shall make an application on the web portal of the Authority in Form 1, and for commercial utilisation shall make an application on the web portal of the Authority in Form 2.

(2) Any person, referred to in sub-section (2) of section 3 of the Act, who was in possession of a biological resource before the coming into force of the Biological Diversity (Amendment) Act, 2023, shall seek approval of the Authority for the purpose of research, commercial utilisation, bio-survey and bio-utilisation.

(3) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied with a specified fee paid in the form of electronic transfer or digital payment to the National Biodiversity Fund.

(4) The Authority may, after consultation with the Biodiversity Management Committee either directly or through State Biodiversity Board or Union territory Biodiversity Council, and after collecting such additional information from the applicant and other sources, as required, and based on the merits of the application, may grant approval subject to terms and conditions, including benefit sharing, or reject, as deemed fit within a period of ninety days from the receipt of the application in complete form:

Provided that if the requisite information sought by the Authority has not been made available by the applicant within a period of thirty days from the date of seeking information, the application shall be closed and applicant shall be informed about the closure:

Provided further that the Biodiversity Management Committee before conveying its views to the Authority, may consult, wherever required, the community, individual or entity concerned to whom the bio-resource belongs to, as the case may be, to ensure their prior informed consent:

Provided also that in cases of present or imminent emergencies situation, the Authority shall process the application expeditiously.

(5) The approval to access shall be in the form of an agreement on mutually agreed terms duly signed by an authorised officer of the Authority and the applicant:

Provided that the application is deemed to be closed, if the applicant does not sign the agreement within a period of sixty days from the date of communication of the draft agreement by the Authority, upon intimation to the applicant:

Provided further that such closed application may be revived on receipt of payment of the half of the fee specified for fresh application under sub-rule (3) within a period of ninety days.

(6) The Authority may for reasons to be recorded in writing, reject an application if it considers that the request cannot be acceded to:

Provided that the application shall not be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard.

(7) The Authority shall publicise all the approvals granted or rejected on its website and shall also ensure that such information is shared with other agencies, as may be required.

(8) The compliance with the terms and conditions of the agreement shall be monitored by the Authority by involving State Biodiversity Board or Union territory Biodiversity Council, Biodiversity Management Committee or any other agency as deemed appropriate by the Authority.

14. Restricting access to biological resources and knowledge associated with such biological resources. –(1)The Authority after conducting such enquiry as deemed appropriate in respect of any provisions of this rule, shall take steps to restrict or prohibit access to biological resources or knowledge associated with such biological resources for the following reasons, namely:-

- (a) the request for access is for any threatened and/ or endemic species including those notified under section 38 of the Act;
- (b) the request for access may result in an adverse impact on the livelihood and/ or socio-cultural aspects of the local communities;
- (c) the request for access may result in adverse environmental impact(s) which may be difficult to control and mitigate;
- (d) the request for access may cause genetic erosion or affect the ecosystem functions including in the areas notified under section 37 of the Act;
- (e) the request is for the use of resources for purposes contrary to national interest and other related international agreements entered into by India;
- (f) for any other reasons to be recorded in writing.

(2) Notwithstanding sub-rule (1), the Authority may permit access to cultivated species mentioned under clause (a) to (e) of that sub-rule depending on merits of each case for a specific period.

15. Procedure for seeking approval for sharing or transferring results of research to persons covered under sub-section (2) of section 3 of the Act.– (1) Any person who intends to share or transfer any result of the research relating to biological resources or traditional knowledge associated thereto to persons covered under sub-section (2) of section 3 of the Act shall make an application on the web portal of the Authority in the following Forms, namely :-

- (a) Form 3 for seeking prior approval of the Authority by any person for sharing or transferring the results of research to persons covered under sub-section (2) of section 3 of the Act for commercial purposes or otherwise;
- (b) Form 4 for registration by the transferee (persons covered under sub-section (2) of section 3 of the Act) to use the results of research for further research;
- (c) Form 5 for seeking prior approval of the Authority to use the results of research for commercial utilisation by the transferee (persons covered under sub-section (2) of section 3 of the Act);
- (d) Form 6 for seeking prior approval of the Authority to use the results of research for obtaining intellectual property rights by the transferee (persons covered under sub-section (2) of section 3 of the Act).

(2) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by a fee paid in an electronic transfer or digital payment form to the National Biodiversity Fund.

(3) The Authority after collecting such additional information from the applicant and other sources, as required, and based on the merits of the application, may grant approval subject to such terms and conditions including benefit sharing, or reject, as deemed fit, within a period of ninety days for receipt of the application under sub-rule (1):

Provided that if the requisite information sought by the Authority has not been made available by the applicant within a period of thirty days from the date of seeking information, the application shall be closed and the applicant shall be informed about the closure.

Provided that the application shall not be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard.

(4) The approvals referred under this rule shall be granted in the form of an agreement on mutually agreed terms duly signed by an authorised officer of the Authority and the applicant:

Provided that the application is deemed to be closed, if the applicant does not sign the agreement within a period of sixty days from the date of communication of the draft agreement by the Authority, upon intimation to the applicant:

Provided further that such closed application may be revived on receipt of payment of half of the fee specified for fresh application under sub-rule (2) within a period of ninety days.

(5) If the Authority is of the opinion that activities referred to in the registration made under clause(b) of sub-rule (1) are detrimental or contrary to the objectives of the Act, it may by order, prohibit or restrict any such activity.

(6) The applicant so registered with the Authority under clause (b) sub-rule (1) shall submit periodic status report as may be required by the Authority.

16. Procedure for registration and obtaining prior approval from Authority before grant of intellectual property rights.— (1) Procedure for seeking prior approval before grant of intellectual property rights by any person referred to in sub-section (2) of section 3 of the Act shall be as follows, namely:-

- (a) Any person referred to in sub-section (2) of section 3 of the Act, applying for any intellectual property rights, in or outside India by applying on the web portal of the Authority in Form 7, for any invention based on research or information including digital sequence information on biological resource which is accessed from India, including those deposited in repositories outside India, or traditional knowledge associated thereto, shall seek prior approval of the Authority, before grant of intellectual property rights, by the competent authority in India or elsewhere;
- (b) every application under clause (a) shall be accompanied with a specified fee paid in the form of electronic transfer or digital payment to the National Biodiversity Fund;
- (c) the Authority shall, after collecting such additional information from the applicant and other sources as deemed appropriate, and on being satisfied with the merits of the application, take a decision on granting approval or otherwise within a period of one hundred and eighty days from the date of receipt of application or on receipt of requisite information whichever is later, subject to such terms and conditions including benefit sharing, as it may deem fit:

Provided that the application shall be closed if the requisite information sought by the Authority has not been made available by the applicant within a period of ninety days from the date of seeking information and the applicant shall be informed about such closure.

- (d) the approval shall be granted in the form of an agreement on mutually agreed terms duly signed by an authorised officer of the Authority and the applicant:

Provided that the application shall be deemed to be closed, if the applicant does not sign the agreement within a period of ninety days from the date of communication of the draft agreement by the Authority, upon intimation to the applicant:

Provided further that such closed application may be revived on receipt of payment of the half of the fee prescribed for submitting fresh application under clause (b) of sub-rule 1 within a period of ninety days.

- (e) the applicant shall intimate the Authority within forty five days from the date of the grant of the intellectual property rights, failing which action as deemed fit will be taken by the competent authority;
- (f) the Authority, for reasons to be recorded in writing, may reject an application if it considers that the request cannot be acceded to:

Provided that the application shall not be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard.

(2) Procedure for registration before obtaining intellectual property rights by any person referred to under section 7 of the Act shall be as follows, namely:-

- (a) any person referred to in under section 7 of the Act, applying for any intellectual property rights, in or outside India, shall register on the web portal of the Authority in Form 8, for any invention based on research or information including digital sequence information on biological resource which is accessed from India, including those deposited in repositories outside India, or traditional knowledge associated thereto, before grant of such intellectual property rights by the competent authority in India or abroad;
- (b) every application under clause (a) for registration with the Authority, shall be accompanied by a specified fee in the form of electronic transfer or digital payment to the National Biodiversity Fund;
- (c) if the Authority is of the opinion that such an invention is the result of access to the knowledge held by a community or an individual or a group of individuals in an illegal manner, the Authority may recommend to the adjudicating officer to impose higher penalty with regard to damage and also value assessed or realised, as the case may be;
- (d) the applicant shall intimate the Authority within forty five days of the grant of the intellectual property rights;
- (e) the applicant at the time of registration shall give an undertaking that prior approval of the Authority will be taken before commercialisation of the intellectual property rights.

(3) Procedure for obtaining prior approval of the Authority for commercialisation of the intellectual property rights by any person referred to in under section 7 of the Act shall be as follows:

- (a) at the time of commercialisation of the intellectual property rights referred to under clause (e) of sub-rule(2), the applicant shall obtain prior approval by applying on the web portal of the Authority in Form 9.
- (b) every application under clause (a) shall be accompanied by a specified fee paid in the form of electronic transfer or digital payment to the National Biodiversity Fund;
- (c) the Authority shall, after collecting such additional information from the applicant and other sources as deemed appropriate, and on being satisfied with the merits of the application, take a decision on granting approval or otherwise within a period of one hundred and eighty days days from the date of receipt of application or on receipt of requisite information whichever is later, subject to such terms and conditions including benefit sharing, as it may deem fit;
- (d) the approval shall be granted in the form of an agreement on mutually agreed terms duly signed by an authorised officer of the Authority and the applicant:

Provided that the application is deemed to be closed if the applicant does not sign the agreement within a period of ninety days from the date of communication of the draft agreement by the Authority to the applicant:

Provided further that such closed application may be revived on receipt of payment of the half of the fee specified for fresh application under clause 3(b) within a period of ninety days.

17. Revocation of access or approval.- (1) The Authority may either on the basis of a complaint or suo moto withdraw the approvals granted under rules 13, 15, sub-rule(1) and (3) of rule 16 and rule 20 revoke the agreement or any part thereof, after giving a reasonable opportunity of being heard to the applicant, under the following conditions, namely: -

- (i) on the basis of reasonable belief that the person to whom the approval was granted has declared false or misleading information or violated any of the provisions of the Act or the conditions on which the approval was granted;
- (ii) when the person who has been granted approval has failed to comply with any of the terms and conditions of the agreement;
- (iii) in the larger public interest or for the protection of environment and conservation of biological diversity, or on the basis of new facts or information brought to the notice of the Authority.

(2) The Authority shall forward a copy of every order of revocation to the State Biodiversity Board and Union territory Biodiversity Council and the Biodiversity Management Committee—concerned for prohibiting the access and also to assess the damage caused, if any, and to take steps to recover the damages.

18. Measures for monitoring and regulating the use in India of biological resource or associated traditional knowledge obtained from any foreign country.- (1) Any person who intends to use in India the biological resource or traditional knowledge associated thereto obtained from any foreign country for research or for commercial purpose or for obtaining intellectual property rights, shall submit a declaration in Form 10 on the web portal of the Authority, as per the provisions of the Section 36(A) of the Act.

(2) The Authority, as per the provisions of the Section 36(A) of the Act, after obtaining relevant information from the user of such biological resource or traditional knowledge associated thereto, shall notify the same on the Access and Benefit-Sharing Clearing-House of the Convention on Biological Diversity.

(3) Based on the request of the provider country, the Authority, as per the provisions of the Section 36(A) of the Act, shall take appropriate measures on such use.

19. Procedure for obtaining a certificate of origin for cultivated medicinal plants. – (1) Any person referred to in under section 7 of the Act, who intends to claim an exemption for accessing cultivated medicinal plants under sub-section (2) of section 7, shall submit self-declaration in physical or digital form to obtain a certificate of origin from the Biodiversity Management Committee concerned in Form 11.

(2) The self-declaration referred to in sub-rule (1) shall contain details including the name and address of the applicant and the cultivator, geographical location including survey number, extent of area under cultivation along with the details of the species being cultivated and parts thereof, and approximate quantity of the biological resources being accessed.

(3) The application shall be accompanied with a specified fee paid in the form of electronic-transfer or digital payment to the Local Biodiversity Fund.

(4) The Biodiversity Management Committee, based on the application submitted by the applicant including the cultivation and post-harvest details of the medicinal plants, and the entries made in the books maintained in Format 12, shall issue the certificate of origin of the cultivated medicinal plants referred to under sub-section (3) of section 7 of the Act and sub-rule (1) within a period of fifteen days:

Provided that if the certificate of origin is not issued within a period of fifteen days, the applicant shall approach the State Biodiversity Board concerned and the same may be disposed of within a period of seven days:

Provided further that in the case of any dispute between the applicant, Biodiversity Management Committee or State Biodiversity Board concerned, the same shall be referred to the Authority by the State Biodiversity Board concerned, and in such case, the decision of the Authority shall be final.

(5) For claiming exemption under sub-section (2) of section 7 of the Act, the onus of proof of source of origin of the medicinal plants shall lie on the end-user.

20. Procedure for conducting non-commercial research or research for emergency purposes outside India by Indian researcher or institution.- (1) Any Indian researcher or institution who intends to carry or send the biological resource outside India to undertake non-commercial research including carrying out urgent studies to address certain present or imminent emergencies like epidemics, shall apply on the web portal of the Authority in Form 13 :

Provided that in case the traditional knowledge associated thereto is also to be transferred or carried along with the biological resources, the approval of the Authority shall be taken by the concerned foreign institution under rule 13.

(2) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied with a specified fee paid in the form of electronic transfer or digital payment to the National Biodiversity Fund.

(3) The Authority shall, on being satisfied with the application under sub-rule (1), grant its approval within a period of forty five days from the date of receipt of the application.

(4) On receipt of approval of the Authority under sub-rule (3), the applicant shall deposit voucher specimens in the designated national repositories, wherever required, before carrying or sending the biological resource outside India and a copy of proof of such deposits shall be endorsed to the Authority.

21. Management and utilisation of National Biodiversity Fund.- (1) The National Biodiversity Fund shall be operated by the Chairperson or by such other officer of the Authority as may be authorised in this regard.

(2) The National Biodiversity Fund shall have two separate accounts, one relating to clause (a) of sub-section 1 of section 27 and the other under clause (b) and (c) of sub-section (1) of the Act which shall be utilised for the activities referred from sub-section (2) of section 27, as decided by the Authority.

(3) All receipts including monetary benefits accrued shall be deposited in the National Biodiversity Fund.

(4) The benefit sharing that is to be earmarked for the Authority, State Biodiversity Boards or Union territory Biodiversity Council may range from minimum of ten percent to maximum of fifteen percent as the case may be and rest may be transferred to benefit claimers or for other uses when benefit claimers are not identified.

(5) The Authority may specify measures for monitoring the utilisation of the Fund.

22. Appeal for settlement of disputes under section 50 of the Act.- (1) If a dispute arises between the Authority and a State Biodiversity Board or Union territory Biodiversity Council or Boards and Councils in respect of implementation of any order or direction or on any policy decision, either of the aggrieved parties or the Authority or the Board or the Council, as the case may be, may prefer an appeal under section 50 of the Act in Form 14, to the Central Government.

(2) In case of a dispute between a State Biodiversity Board or Union territory Biodiversity Council and another Board or Council or among Boards or Councils, the Central Government, may refer the same to the Authority for resolution.

(3) The memorandum of appeal shall be accompanied by an authenticated copy of the order, direction or policy decision, as the case may be, by which the appellant is aggrieved and shall be submitted online, within thirty days from the date of the order, direction or policy decision:

Provided that if the Central Government is satisfied that there was a good and sufficient ground for the delay in preferring the appeal, it may, for reason to be recorded in writing, allow the appeal to be preferred after the expiry of the aforesaid period of thirty days.

(4) The notice for hearing the appeal shall be given on the web portal of the Authority in Form 15.

(5) Where a dispute is referred to the Authority under sub-rule (2), the Authority shall be guided by the principles of natural justice and as far as practicable, and follow the same procedure which the Central Government is required to follow under this rule.

(6) The Central Government or the Authority, after hearing the appellant and other parties, and after taking into consideration other relevant facts, if any, shall dispose of the appeal, within a period of sixty days.

(7) In disposing of an appeal, the Central Government or the Authority may modify or cancel the impugned order, direction or policy decision, as the case may be.

23. Manner of inquiry by the Adjudicating Officer.- (1) No Adjudicating Officer shall inquire into a complaint of non-compliance or contravention of the provisions referred to in section 55 of the Act unless the complaint is filed by or on behalf of the authorised officer, along with all necessary documents, either on its own motion or on receipt of a representation.

(2) The complaint may be represented by a presenting officer who shall be a legal practitioner and shall appear and present the case before the Adjudicating Officer, on behalf of the authorised officers, within their respective jurisdiction.

(3) The presenting officer shall, before forwarding the matter under sub-rule(1) to the Adjudicating Officer, process the same exercising reasonable due diligence, and bring on record all relevant facts and circumstances that need to be taken into account for imposing penalty, and also to ascertain if it is a matter necessary for adjudication and the authorised officer shall provide all the relevant documents and facts related to the case, to the presenting officer.

(4) The adjudicating officer within thirty days of receipt of the complaint shall issue a notice to the person against whom non-compliance or contravention to the provisions of section 3 or section 4 or section 6 or section 7 of the Act is alleged under section 55A of the Act, along with the particulars of the matter against him clearly specifying the nature of non-compliance or contravention, and such person may either appear personally or through an authorised representative, on such date as specified, which shall not be less than fifteen days from the date of service thereon and shall not exceed thirty days, in such format as may be prescribed by the Central Government.

(5) On such date as specified in the notice, the person or his authorised representative may admit or deny the allegations levelled against him, before the Adjudicating Officer.

(6) If the person or his representative admits to the allegations, the Adjudicating Officer shall state in his order such admission and impose a penalty and send a copy of the order to the concerned presenting officer and the person against whom complaint was filed.

(7) In cases not covered under sub-rule (6), the adjudicating officer shall fix a date for inquiry and communicate the same to the concerned presenting officer, for presentation of the matter.

(8) On the date fixed, the adjudicating officer shall give an opportunity to the person to produce documents or evidence as he may consider relevant to the inquiry.

(9) If any person fails or refuses to appear before the adjudicating officer as required by sub-rule (8) without sufficient cause, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person.

(10) The Adjudicating Officer may also refer to the findings of the authority or officer authorised under section 55B of the Act or utilize their services, wherever necessary.

(11) While holding such inquiry, the adjudicating officer shall have power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the matter to give evidence or to produce any document which, in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.

(12) For the purposes of sub-rule(11), the Adjudicating Officer shall have the following powers of a Civil Court, as specified in the Civil Procedure Code, 1908, namely:-

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of documents or other electronic records; and
- (c) receiving evidence on affidavits.

(13) On presentation of matter by the concerned presenting officer, defence given by the person and recording of such information as necessary, the adjudicating officer shall either dismiss the allegation or make such order as it deemed fit.

(14) All orders of the Adjudicating Officer shall be speaking orders, irrespective of whether penalty has been imposed by such order or not.

(15) The Adjudicating Officer shall complete the adjudication of every matter within ninety days from the date fixed under sub-rule (7), which is extendable upto a further period of ninety days if sufficient cause exists.

(16) If the subject-matter of a complaint received under this rule is already in question before the National Green Tribunal or any other Court of competent jurisdiction on the date of receipt of the matter, the proceedings under this rule shall not be initiated unless such latter case is finally disposed of and the Adjudicating Officer shall make an order of adjournment of the proceedings under this sub-rule.

(17) If the adjudicating officer is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of section 3 or section 4 or section 6 or section 7 of the Act, he shall impose a penalty as deemed fit in accordance with the provisions of section 55 of the Act.

(18) The Adjudicating Officer shall not pass an order for penalty if the Tribunal or Court has already passed an order to that effect in a proceedings referred to in under sub-rule (16).

(19) Any person or a benefit claimer who intends to make a complaint before any court about any offence under this Act shall give a notice of not less than thirty days in Form 16 about his intention to make a complaint to the Central Government or authority or officer authorised in that behalf, under section 61 of the Act, through online or registered post with acknowledgement due or speed post.

(20) Upon expiry of a period of thirty days from the recipient of notice and not being satisfied with the action taken by authority or Central Government, such person or the benefit claimer may file a written complaint before a court having jurisdiction to take cognizance of the offence under the Act.

Provided that the Central Government or any authority or officer authorised by that Government may under clause (a) of section 61 of the Act make a written complaint to court for taking cognizance of any offence under the Act.

24. Appeals from Order of Adjudicating Officer.- Any person aggrieved by the order of the Adjudicating Officer may prefer an appeal to the National Green Tribunal established under section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), under section 52A of the Act.

25. Factors to be considered while determining quantum of penalty.- (1) The Adjudicating Officer shall have due regard to the following factors for determining the quantum of penalty, namely: -

- (a) the amount of disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of contravention of the provisions of the Act;

- (b) the penalty for contravention of the provisions referred to in section 55 of the Act shall not be less than one lakh rupees and may extend to fifty lakh rupees;
- (c) in case the damage caused, exceeds the amount of penalty under sub-rule (2) then the penalty shall be commensurate with the damage caused.

Explanation.- In this clause the expression damage, includes damage to the environment and value of the biological resource used and value of the products derived from it by violating the provisions of the Act;

- (d) in case of a failure or continued contravention, an additional penalty not exceeding one crore rupees may be imposed over and above the penalty under sub-rule (2) or (3);
- (e) any other things as may be considered by the Adjudicating Officer to be relevant for the conservation of biological diversity and protection of the environment.

(2) A penalty shall not be imposed without giving the person or entity concerned a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(3) The penalty as imposed by the Adjudicating Officer under the Act shall be in addition to the liability to pay relief or compensation under section 55 of the Act and section 17 of the National Green Tribunal Act, 2010(19 of 2010).

26. Deposition of the penalty amount.— All amounts of penalties realised under these rules shall be deposited in the National Biodiversity Fund and all the amounts of penalties relating to offences under section 7 of the Act shall be deposited in the Biodiversity Fund of the State Biodiversity Board or the Union territory Biodiversity Council concerned, as the case may be.

THE FIRST SCHEDULE

Application Forms and Fees

Sl. no. (1)	Purpose of the application (2)	Application Fee (3)
1.	Application for seeking prior approval of the National Biodiversity Authority for access to biological resources or knowledge associated thereto for research or for bio-survey and bio-utilization by persons covered under section 3(2) of the Act.	
	For Individual	₹ 10,000.00
	For entity	₹ 20,000.00
2.	Application for seeking prior approval of the National Biodiversity Authority for access to biological resources or knowledge associated thereto for commercial utilization by persons covered under section 3(2) of the Act	
	For Individual	₹ 10,000.00
	For entity	₹ 20,000.00
3.	Application for seeking prior approval of the National Biodiversity Authority for sharing or transferring the results of research to section 3(2) persons for commercial purposes or otherwise.	
	For Individual	₹ 5,000.00
	For entity	₹ 10,000.00
4.	Application for prior registration with the National Biodiversity Authority to use the results of research for further research by the transferee (section 3(2) person)	
	For Individual	₹ 2,000.00
	For entity	₹ 5,000.00
5.	Application for seeking prior approval of the National Biodiversity Authority to use the results of research for commercial utilisation by the transferee (section 3(2) person)	
	For Individual	₹ 10,000.00
	For entity	₹ 20,000.00
6.	Application for seeking prior approval to use the results of research for obtaining intellectual property rights by the transferee (section 3(2) person)	
	For Individual	₹ 5,000.00
	For entity	₹ 10,000.00
7.	Application for seeking prior approval of the National Biodiversity Authority before grant of intellectual property rights by persons covered under section 3(2) of the Act	

	For Individual	₹ 5,000.00
	For entity	₹ 10,000.00
8.	Application for registration with the National Biodiversity Authority before grant of intellectual property rights by persons covered under section 7 of the Act.	
	For Individual	₹ 2,000.00
	For entity	₹5,000.00
9.	Application for seeking prior approval of the National Biodiversity Authority for commercialisation of intellectual property rights by persons covered under section 7 of the Act.	
	For Individual	₹ 5,000.00
	For entity	₹ 10,000.00
10.	Form for declaration of the use of biological resource or associated traditional knowledge obtained from any foreign country, in India.	Nil
11.	Application cum format for obtaining certificate of origin for cultivated medicinal plants	₹ 200.00
12.	Format of book containing details of cultivated medicinal plants to be maintained by the Biodiversity Management Committee	Nil
13.	Application for seeking prior approval of the National Biodiversity Authority for sending /carrying the biological resources outside India by Indian researchers / institutions for conducting non-commercial research or research for emergency purposes.	₹ 1,000.00
14.	Form of Memorandum of Appeal before the Central Government for settlement of disputes	Nil
15.	Format of notice to be issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or National Biodiversity Authority for appearance before it	Nil
16.	Format of notice by any person/benefit claimer	Nil

THE SECOND SCHEDULE

[see rule 2(1)(g)]

FORM -1*{See section 3 of the Act and rule 13(1)}*

Application for seeking prior approval of the National Biodiversity Authority for access to biological resources or knowledge associated thereto for research or for bio-survey and bio-utilization by persons covered under section 3(2) of the Act.

(1)	Particulars of the applicant	
(i)	Category of the applicant	(Drop down menu) a. Individual b. Individual and Entity c. Entity
(ii)	Name of the applicant	
(iii)	Status of the applicant	(Drop down menu) a. NRI b. Non-Indian c. Entity covered under section 3(2) of the Act.
(iv)	Address of the applicant	

	<i>(Postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)</i>	
(v)	Profile of the individual/entity	
(vi)	Nature of the business (applicable if the applicant is an entity)	
(vii)	Details of the authorized representative for the applicant (applicable if the applicant is an entity) <i>(Name with postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)</i>	
(viii)	Contact person of the applicant in India (If any) <i>(Name with postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)</i>	
(2)	Details of the biological resources and knowledge associated thereto intended to be accessed	
(i)	Details of the biological resource	<p>(Drop down menu)</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Nature of the biological resource(s) <i>(plants/animals/microbes/genetic material/variety/hybrid)</i> ii. Common name iii. Scientific name (Genus and species/variety/strain) iv. Plant parts (Seed, stem, bark, leaf, flower, fruit, root, rhizome, genetic material, extract, exudate, etc.) v. Quantity of each biological resource (in Kg/gm/ml) vi. Duration of access (expected start and end date) vii. Frequency of access (number of times the biological resource(s) will be accessed) viii. Source of access (wild/cultivated/institution/repository/traders/ market) ix. Geographical location (village, taluk, district, state). If procured from a trader/institute, their name, address and contact details to be provided; if procured from repository/institution, then origin of collection to be provided.
(ii)	Details about the knowledge associated thereto:	
(a)	Nature of the knowledge associated (Oral/ documented)	
(b)	Details of traditional knowledge intended to be accessed (in not more than 100 words)	
(c)	Name of the traditional knowledge holder (individual/community)	
(d)	Address of the traditional knowledge holder (individual community)	

(3)	Expected duration of research	
(4)	The purpose for which access is required including the type and extent of research being derived and expected to be derived from it	
(i)	Brief description about the research	
(ii)	Expected outcome of the research	
(5)	Details of any institution which will participate in the research and development activities	
(i)	Name of the person or institute	
(ii)	Contact details (<i>Postal address(es) including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number</i>)	
(6)	Preferred mode of benefit sharing	i. Monetary ii. Non-monetary iii. Both
(7)	Estimation of benefits that would flow to India/communities arising out of the use of accessed biological resources and knowledge associated thereto	
(8)	Any other information considered relevant	
(9)	Details of remittance of application fee <i>(mode of payment, transaction ID, amount, date, etc.)</i>	

Declaration

I/We declare that:

1. Collection of the proposed biological resources shall not adversely affect the sustainability of the resources;
2. Collection of the proposed biological resource shall not entail any environmental impact;
3. Collection of the proposed biological resource shall not pose any risk to the ecosystems; and
4. Collection of the proposed biological resource and knowledge associated thereto shall not adversely affect the local communities.

I/We further declare that the information provided in the application form is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that it conceals nothing and that no part of it is false. I/We shall be responsible for any incorrect or wrong information provided.

Place

Signature

Date

Name

FORM-2

{See section 3 of the Act and rule 13(1)}

Application for seeking prior approval of the National Biodiversity Authority for access to biological resources or knowledge associated thereto for commercial utilization by persons covered under section 3(2) of the Act

(1) Particulars of the applicant	
(i) Category of the applicant	(Drop-down menu) <ul style="list-style-type: none"> a. Individual b. Individual and Entity c. Entity
(ii) Name of the applicant	
(iii) Status of the applicant	(Drop down menu) <ul style="list-style-type: none"> a. NRI b. Non-Indian c. Entity covered under section 3(2) of the Act
(iv) Address of the applicant <i>(Postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)</i>	
(v) Profile of the individual/entity	
(vi) Nature of the business (applicable if the applicant is an entity)	
(vii) Details of the authorised representative for the applicant <i>(applicable if the applicant is an entity)</i> <i>(Name with postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)</i>	
(viii) Contact person of the applicant in India (If any) <i>(Name with postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)</i>	
(2) Details of the biological resources and knowledge associated thereto intended to be accessed	
(i) Details of biological resource	(Drop down menu) <ul style="list-style-type: none"> i. Nature of the biological resource <i>(plants/animals/microbes/genetic material/variety/hybrid)</i> ii. Common name iii. Scientific name (Genus and species/variety/strain) iv. Plant parts (Seed, stem, bark, leaf, flower, fruit, root, rhizome, genetic material, extract, exudate, etc.) v. Quantity of each biological resource (in Kg/gm/ml) vi. Duration of access (expected start and end date) vii. Source of access (wild/cultivated/institution/repository/trader/ market)

		viii. Geographical location (village, taluk, district, state). If procured from a trader institute, their name, address and contact details to be provided; if procured from repository/institution, then origin of collection to be provided.
(ii) Details about the knowledge associated thereto:		
(a)	Nature of the knowledge associated (<i>Oral/ documented</i>)	
(b)	Details of traditional knowledge intended to be accessed (<i>in not more than 100 words</i>)	
(c)	Name of the traditional knowledge holder (individual community)	
(d)	Address of the traditional knowledge holder (individual community)	
(3) The purpose for which access is required including the type and extent of commercial utilisation being derived and expected to be derived from it		
(i)	Brief description about the commercial utilization	
(ii)	Expected duration of commercial utilization	
(4) Details of the approval obtained from the Authority for the purpose of research or for bio-survey and bio-utilization		
(i)	NBA application number	
(ii)	Date of approval	
(iii)	Upload copy of the approval granted (in the form of agreement) by the National Biodiversity Authority	
(5)	Preferred mode of benefit sharing	i. Monetary ii. Non-monetary iii. Both
(6)	Estimation of benefits that would flow to India/ communities arising out of the use of accessed biological resources and knowledge associated thereto	
(7)	Any other information considered relevant	
(8)	Details of remittance of application fee (<i>Mode of payment, transaction ID, amount, date, etc.</i>)	
Declaration		
I/We declare that:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Collection of the proposed biological resource shall not adversely affect the sustainability of the resources; 2. Collection of the proposed biological resource shall not entail any environmental impact; 3. Collection of the proposed biological resource shall not pose any risk to the ecosystems; and 4. Collection of the proposed biological resource and knowledge associated thereto shall not adversely affect the local communities. 		
I/We further declare that the information provided in the application form is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that it conceals nothing and that no part of it is false. I/We shall be responsible for any incorrect or wrong information provided.		
Place	Signature	
Date	Name	

FORM-3
{See section 4 of the Act and rule 15(1)(a)}

Application for seeking prior approval of the National Biodiversity Authority for sharing or transferring the results of research to section 3(2) persons for commercial purposes or otherwise

(1) Particulars of the applicant	
(i)	Category of the applicant (Drop-down menu) a. Individual b. Individual and Entity c. Entity
(ii)	Name of the applicant
(iii)	Status of the applicant (Drop down menu) a. Indian b. NRI c. Non-Indian d. Entity covered under section 3(2) of the Act e. Entity covered under section 7 of the Act
(iv)	Address of the applicant <i>(Postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)</i>
(v)	Profile of the individual/entity
(vi)	Nature of the business (applicable if the applicant is an entity)
(vii)	Details of the authorised representative for the applicant <i>(applicable if the applicant is an entity)</i> <i>(Name with postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)</i>
(viii)	Contact person of the applicant in India (If any) <i>(Name with postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)</i>
(2) Details of the results of research	
(i)	Details of the results of research conducted
(ii)	Details and nature of results of research to be transferred or shared
(3) Details of the biological resources used in the research	
	(Drop down menu) i. Nature of the biological resource(s) <i>(plants/animals/microbes/genetic material/variety/hybrid)</i> ii. Common name

		iii. Scientific name (Genus and species/ variety/strain) iv. Plant parts (Seed, stem, bark, leaf, flower, fruit, root, rhizome, genetic material, extract, exudate, etc.) v. Source of access (wild/cultivated/institution/repository/traders/ market) vi. Geographical location (village, taluk, district, state). If procured from a trader institute, their name, address and contact details to be provided; if procured from repository/ institution, then origin of collection to be provided.
(4) Details of the traditional knowledge associated thereto if any used in the research		
(i)	Details of traditional knowledge accessed (in not more than 100 words)	
(ii)	Name of the traditional knowledge holder (individual community)	
(iii)	Address of the traditional knowledge holder (individual/ community)	
(iv)	Consent obtained from the community/individual, if any	
(5) Details of the approval obtained from the Authority for undertaking research by section 3(2) persons		
(i)	NBA application number	
(ii)	Date of approval	
(iii)	Upload copy of the approval granted (in the form of agreement) by the National Biodiversity Authority	
(6) Details of the institution where research and development activities were carried out		
(i)	Provide the name and contact details of the institution/entity where research and development activities were carried out	
(ii)	Name of the institution	
(iii)	Contact details (<i>Postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number</i>)	
(iv)	<i>Attach a copy of the letter issued to the applicant by the competent authority of the institution/ entity where research and development activities were carried out.</i>	
(7) Details of the individual/entity to whom the research results are intended to be transferred or shared.		
(i)	Name(s) and contact details of individual entity	

(ii)	Details of the intended use of research results by the transferee	
(8)	Details of economic, scientific or any other benefits that are intended, or may accrue to the applicant seeking approval for share or transfer of results of research.	
(9)	Details of any memorandum of understanding or agreement executed between the proposed recipient and the applicant seeking approval for share or transfer of results of research (Copy of Memorandum of Understanding /agreement, if any, to be uploaded.)	
(10)	Any other information considered relevant	
(11)	Details of remittance of application fee (Mode of payment, transaction ID, amount, date, etc.)	
Declaration		
I/We declare that:		
<p>a. I/We inform the transferee to register with the Authority if he/she intends to use the results of research for further research as per the extant provisions of the Act.</p> <p>b. I/We inform the transferee to seek prior approval of the Authority if he/she intends to use the results of research for commercial utilization or for obtaining intellectual property rights as per the extant provisions of the Act.</p> <p>c. The information provided in the application is true and correct to the best of my/our knowledge and belief that it conceals nothing and that no part of it is false. I/We shall be responsible for any incorrect or wrong information provided.</p>		
Place		Signature
Date		Name

FORM-4*{See section 4 of the Act and rule 15(1)(b)}***Application for registration with the National Biodiversity Authority to use the results of research for further research by the transferee**

(1)	Particulars of the applicant (transferee)	
(i)	Category of the applicant	(Drop down menu) a. Individual b. Individual and Entity c. Entity
(ii)	Name of the applicant	
(iii)	Status of the applicant	(Drop down menu) a. NRI b. Non-Indian c. Entity covered under section 3(2) of the Act

(iv)	Address of the applicant <i>(Postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)</i>	
(v)	Profile of the individual/entity	
(vi)	Nature of the business (applicable if the applicant is an entity)	
(vii)	Turnover of the organization in Indian rupees (applicable if the applicant is an entity)	
(viii)	Details of the authorised representative for the applicant (applicable if the applicant is an entity) <i>(Name with postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)</i>	
(ix)	Contact person of the applicant in India (If any) <i>(Name with postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)</i>	
(2)	Details of the approval obtained from the Authority by the transferor or person from whom results of research are obtained under sections 4 and 20 of the Act	
(i)	Name of the person/entity/institution	
(ii)	Postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number	
(iii)	NBA Application number	
(iv)	Date of approval	
(v)	Upload copy of the approval granted (in the form of agreement) by the National Biodiversity Authority	
(3)	Brief description about the research activities to be carried out by the applicant	
(4)	Details of any person institute that are to be involved in the research	
(i)	Name of the person or institute	
(ii)	Contact details (Postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and landline number)	
(5)	Expected duration of research	
(6)	Expected outcome of research	
(7)	Benefits that would flow to India/ communities arising out of the proposed research on the use of obtained results of research	
(8)	Any other information considered relevant	
(9)	Details of remittance of application fee (Mode of payment, transaction ID, amount, date, etc.)	
Declaration		
<p>a. I/We further declare that the information provided in the application form is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that it conceals nothing and that no part of it is false.</p> <p>b. I/We shall be responsible for any incorrect or wrong information provided.</p> <p>c. I/We shall declare the progress made in the research activities to the Authority at the end of every calendar year.</p> <p>d. I/We shall obtain prior approval of the Authority at the time of commercial utilization of the obtained results of research or for obtaining intellectual property rights within or outside India as per section 4 and 6 of the Act respectively.</p>		
Place	Signature.	
Date	Name	

FORM-5*{See section 4 of the Act and rule 15(1)(c)}***Application for seeking prior approval of the National Biodiversity Authority to use the results of research for commercial utilisation by the transferee.**

(1) Particulars of applicant (Transferee)	
(i)	Category of the applicant (Drop down menu) a. Individual b. Individual and Entity c. Entity
(ii)	Name of the applicant
(iii)	Status of the applicant (Drop down menu) a. NRI b. Non-Indian c. Entity covered under section 3(2) of the Act
(iv)	Address of the applicant (Postal address including PIN code, email, mobile, alternate mobile number and/or landline number)
(v)	Profile of the individual/entity
(vi)	Nature of the business (applicable if the applicant is an entity)
(vii)	Turnover of the organization in Indian rupees (applicable if the applicant is an entity)
(viii)	Authorized representative (applicable if the applicant is an entity) (Postal address including PIN code, email, mobile, alternate mobile number and/or landline number)
(ix)	Contact person in India (If any) (Postal address including PIN code, email, mobile, alternate mobile number and/or landline number)
(2)	Details of the approval obtained from the Authority by the transferor or person from whom results of research are obtained under section 4 and 20 of the Act
(i)	Name of the person/entity/institution
(ii)	Postal address including PIN code
(iii)	E-mail ID, mobile, alternate mobile number and/or landline number
(iv)	NBA Application number
(v)	Date of approval
(vi)	Upload copy of the approval granted (in the form of agreement) by the National Biodiversity Authority
(3)	Brief description about the commercial activity to be carried out by the applicant
(4)	Expected duration of the commercial utilization
(5)	Expected outcome and benefits that would flow to India/communities arising out of the commercial utilisation of the obtained results of research
(6)	Any other information considered relevant
(7)	Details of remittance of application fee (Mode of payment, transaction ID, amount, date, etc.)
Declaration	
a. I/We further declare that the information provided in the application form is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that it conceals nothing and that no part of it is false.	

b. I/We shall be responsible for any incorrect or wrong information provided.	
Place	Signature.
Date	Name

FORM-6*{See section 4 of the Act and rule 15(1)(d)}*

Application for seeking prior approval of the National Biodiversity Authority to use the results of research for obtaining intellectual property rights by the transferee.

(1)	Particulars of applicant (Transferee)	
(i)	Category of the applicant	(Drop down menu) a. Individual b. Individual and Entity c. Entity
(ii)	Name of the applicant	
(iii)	Status of the applicant	(Drop down menu) a. NRI b. Non-Indian c. Entity covered under section 3(2) of the Act
(iv)	Address of the applicant (Postal address including PIN code, email, mobile, alternate mobile number and/or landline number)	
(v)	Profile of the individual/entity	
(vi)	Nature of business (applicable if the applicant is an entity)	
(vii)	Turnover of the organization in Indian rupees (applicable if the applicant is an entity)	
(viii)	Authorized representative (applicable if the applicant is an entity) (Postal address including PIN code, email, mobile, alternate mobile number and/or landline number)	
(ix)	Details of the patent attorney/contact person (Postal address including PIN code, e-mail, mobile, alternate mobile number and/or landline number)	
(2)	Details of the transferor from whom the results of the research are obtained	
(i)	Name of the person/entity/institution	
(ii)	Postal address including PIN code	
(iii)	E-mail ID, mobile, alternate mobile number and/or landline number	
(3)	Details of the approval obtained from the National Biodiversity Authority by the transferor or person from whom results of research are obtained under section 4 of the Act	
(i)	NBA Application number	
(ii)	Date of approval	
(iii)	Upload copy of the approval granted (in the form of agreement) by the National Biodiversity Authority	
(4)	Details of the invention	
(i)	Title of invention	
(ii)	Abstract/details of the invention	
(iii)	Details of the patent office where the applicant intends to file patent application for the said invention	
(iv)	Whether any intellectual property rights application has been filed in or outside India for the present invention as on date	
(5)	Details of remittance of application fee	

	(Mode of payment, transaction ID, amount, date, etc.)	
(6)	Any other information considered relevant	
Declaration		
<p>a. I/We further declare that the information provided in the application form is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that it conceals nothing and that no part of it is false.</p> <p>b. I/We shall be responsible for any incorrect or wrong information provided.</p>		
Place		Signature.
Date		Name

FORM-7

{See section 6(1) of the Act and rule 16(1)(a)}

Application for seeking prior approval of the National Biodiversity Authority before grant of intellectual property rights by persons covered under section 3 (2) of the Act.

(1)	Particulars of the applicant	
(i)	Category of the applicant	(Drop-down menu) a. Individual b. Individual and Entity c. Entity
(ii)	Name of the applicant (as in the patent application)	
(iii)	Status of the applicant	(Drop down menu) a. NRI b. Non-Indian c. Entity covered under section 3(2) of the Act
(iv)	Address of the applicant <i>(Postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)</i>	
(v)	Profile of the individual/entity	
(vi)	Nature of the business (applicable if the applicant is an entity)	
(vii)	Details of the authorised representative for the applicant (applicable if the applicant is an entity) <i>(Name with postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)</i>	
(viii)	Details of the patent attorney/contact person (if applicable) <i>(Name with postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)</i>	

(2)	Details of the approval obtained from the National Biodiversity Authority for research under section 3 of the Act						
(i)	NBA application number						
(ii)	Date of approval						
(iii)	Upload copy of the approval granted (in the form of agreement) by the National Biodiversity Authority						
(3)	Details of any other organization involved in the research and development activities						
(4)	Details of the invention						
(i)	Title of the Invention						
(ii)	Field of Invention Drop down (<i>Agro-chemical, biotechnology, chemical, food, pharmaceutical, textile, bio-chemistry, polymer technology, microbiology, bio-medical engineering, agriculture engineering, traditional knowledge biotechnology, traditional knowledge chemical or any other relevant field</i>)						
(iii)	Abstract/details of the invention (in not more than one hundred and fifty words)						
(iii)	Details of the patent office where the applicant intends to file patent application for the said invention [Names of the countries to be placed in the drop down menu]						
(iv)	Whether any patent application has been filed in or outside India for the present invention as on date Yes/ No						
(vi)	If answer to (v) is 'Yes', details to be provided:						
	Sl No	Name of the country [Drop down menu]	Patent office in which application has been filed [Drop down menu]	Date of filing of the patent application	Patent application number	Status of the application as on date (Filed/published/ under examination /under hearing/ granted) [Drop down menu]	If granted, patent number and date of grant
(5)	Details of the biological resource accessed/ claimed in the invention					a. Nature of the accessed biological resource(s) (Plant/animal/ microorganism/ fungi/algae and others) [Drop down] b. Common name c. Scientific name (Genus and species/ variety/strain)	

		<p>d. Plant parts (whole plant, seed, stem, bark, leaf, flower, fruit, root, rhizome, etc.) [drop down]</p> <p>e. Source of access (Market/trader/wild/self-cultivated/repository/others to be specified) [drop down]</p> <p>f. Geographical location (village, taluk, district, state). If procured from trader/institute, entity's names, addresses and contact details to be provided. If procured from repository/institution, then origin of collection is to be provided.</p>
(6)	Details of any traditional knowledge associated thereto accessed	
(i)	Details of traditional knowledge associated thereto accessed (<i>in not more than one hundred words</i>)	
(ii)	Name of the holder(s) of the traditional knowledge associated thereto (<i>individual / community</i>)	
(iii)	Address of the traditional knowledge holder (<i>individual/community</i>)	
(iv)	Traditional knowledge associated thereto obtained from any other source	
(6)	Any other information considered relevant	
(7)	Details of remittance of application fee (<i>Mode of payment, transaction ID, amount, date, etc.</i>)	
Declaration		
I/We declare that:		
<p>a. The information provided in the application form is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that it conceals nothing and that no part of it is false.</p> <p>b. I/We shall be responsible for any incorrect or wrong information provided.</p> <p>c. Prior approval of the National Biodiversity Authority is mandatory under rule 16 for access to biological resources and knowledge associated thereto while commercializing the patent granted.</p>		
Place	Signature	
Date	Name	

Form-8*{See section 6(1A) of the Act and rule 16 (2)(a)}***Application for registration with the National Biodiversity Authority before grant of intellectual property rights by persons covered under section 7 of the Act**

(1) Particulars of the applicant	
(i)	Category of the applicant (Drop down menu) Individual Individual and Entity Entity
(ii)	Name of the applicant (as in patent application)
(iii)	Status of the applicant (Drop down menu) Indian Entity covered under section 7 of the Act
(iv)	Address of the applicant <i>(Postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)</i>
(v)	Profile of the individual/entity
(vi)	Nature of the business <i>(applicable if the applicant is an entity)</i>
(vii)	Details of the authorised representative for the applicant (applicable if the applicant is an entity) <i>(Name with postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)</i>
(viii)	Details of the patent attorney/contact person (if applicable) <i>(Name with postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and landline number)</i>
(2) Details of the invention	
(i)	Title of the invention
(ii)	Field of invention Drop down <i>(Agro-chemical, biotechnology, chemical, food, pharmaceutical, textile, biochemistry, polymer technology, microbiology, biomedical engineering, agriculture engineering, traditional knowledge biotechnology, traditional knowledge chemical or any other relevant field)</i>
(iii)	Abstract/details of the invention (not more than one hundred and fifty words)
(iv)	Details of the patent office where the applicant intends to file patent application for the said invention <i>[Names of the countries to be placed in the drop down menu]</i>
(v)	Whether any patent application has been filed in or outside India for the present invention as on date
(vi)	If answer to (v) is 'Yes', details to be provided:

Sl. No.	Name of the country <i>[Drop down menu]</i>	Patent office in which application has been filed <i>[Drop down menu]</i>	Date of filing of the patent application	Patent application number		
(3)	Details of the biological resource accessed/claimed in the invention			Nature of the accessed biological resource(s) (Plant/animal/ microorganism/fungi/algae/others) <i>[Drop down]</i> Common name Scientific name (Genus and species/variety/strain) Plant parts (whole plant, seed, stem, bark, leaf, flower, fruit, root, rhizome, etc.) Source of access (Market/trader/ wild/ self-cultivated/repository/ others) Geographical location (village, taluk, district, state). If procured from trader/institute, entity's name, address, and contact details to be provided. If procured from repository/institution, then origin of collection is to be provided.		
(4)	Details of traditional knowledge accessed, if any					
(i)	Details of traditional knowledge accessed (in not more than 100 words)					
(ii)	Name of the traditional knowledge holder, (individual community)					
(iii)	Address of the traditional knowledge holder (individual/community)					
(iv)	Traditional knowledge associated thereto obtained from any other source					
(5)	Details of any organization involved in the research and development activities					
(6)	Any other information considered relevant					
(7)	Details of remittance of application fee					
	(mode of payment, transaction ID, amount, date, etc.)					
Declaration						
I/We declare that:						
The information provided in the application form is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that it conceals nothing and that no part of it is false.						
I/We shall be responsible for any incorrect or wrong information provided.						
I/We shall obtain prior approval of the Authority at the time of commercialization of the patent as per section 6(1B) of the Act and rule 16(3)(a) of the Rules.						
Place			Signature			
Date			Name			

FORM-9

{See section 6(1B) of the Act and rule 16(3)(a)}

Application for seeking prior approval of the National Biodiversity Authority (post registration) for commercialisation of intellectual property rights by persons covered under section 7 of the Act

(1) Particulars of the applicant	
(i) Category of the applicant	(Drop down menu) a. Individual b. Individual and Entity c. Entity
(ii) Name of the applicant (as in patent application)	
(iii) Status of the applicant	(Drop down menu) a. Indian b. Entity covered under section 7 of the Act
(iv) Address of the applicant (Postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)	
(v) Profile of the individual/entity	
(vi) Nature of business (applicable if the applicant is an entity)	
(vii) Details of the authorised representative for the applicant (applicable if the applicant is an entity) (Name with postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)	
(viii) Details of the patent attorney/contact person (if applicable) (Name with postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)	
(2) Details of the registration made with the National Biodiversity Authority before grant of intellectual property rights	
(i) NBA registration number	
(ii) Title of the invention	
(iii) Details of the patent office/countries in which patents have been granted as on date (Copy of patent certificate issued by the patent office to be uploaded)	[List of countries to be in Drop down]
(iv) Upload copy of the latest Form-27 submitted with the Indian patent office, if any	
(v) Whether details of biological resources furnished in the registration and list of biological resources furnished in this application is one and the same or different?	Yes / No.
	If no, furnish the details of biological resources given below: a. Nature of the accessed biological resource(s) (Plant/animal/microorganism/fungi/algae/others) [Drop down] b. Common name c. Scientific name (Genus and species/variety/strain)

		<p>d. Plant parts (whole plant, seed, stem, bark, leaf, flower, fruit, root, rhizome, etc.)</p> <p>e. Source of access (Market/trader/ wild/ self-cultivated/repository/ others)</p> <p>f. Geographical location (village, taluk, district, state). If procured from trader/institute, entity's name, address, and contact details to be provided. If procured from repository/institution, then origin of collection is to be provided.</p>
(3) Details of commercialisation		
(i)	Details of each country where the invention is sought to be commercialized	<p>i. Name of the country (Drop-down)</p> <p>ii. Patent number</p> <p>iii. Mode of commercialization (Licensing/assignment/self-manufacture/transfer of particular patent rights alone/any other mode)</p> <p>iv. Details of each licensee/assignee/ transferee/ any other person <i>(Names with Postal addresses including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)</i></p> <p>v. Period of commercialization <i>(in years)</i></p> <p>vi. Amount of revenue generated, if any / likely to be generated</p>
(4) Any other information considered relevant		
(5) Details of remittance of application fee (Mode of payment, transaction ID, amount, date, etc.)		
Declaration		
<p>I/We declare that: The information provided in the application form is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that it conceals nothing and that no part of it is false.</p> <p>a. I/We shall be responsible for any incorrect or wrong information provided.</p> <p>b. Prior intimation to the concerned State Biodiversity Board or Union territory Biodiversity Council shall be provided for accessing the biological resource and/or traditional knowledge associated thereto for commercial utilization as per section 7 of the Act.</p>		
Place:	Signature:	
Date:	Name:	

FORM-10*{See section 36A of the Act and rule 18(1)}*

Form for declaration of the use of biological resource(s) and/or associated traditional knowledge obtained from any foreign country, in India

Sl .no	Particulars	
(1)	Name of the person or entity	
(2)	Category of the applicant	Individual Individual and Entity Entity
(3)	Status of the applicant	(Drop down menu) Indian NRI

		Non-Indian Entity covered under section 3(2) of the Act Entity covered under section 7 of the Act
(4)	Complete address <i>Postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)</i>	
(5)	Details of biological resource used	
(i)	Scientific and common name of the biological resource	
(ii)	Country from where biological resource was/were accessed	
(iii)	Whether the country from which the biological resource were accessed is a Party to Nagoya Protocol	Yes/No (Please tick whichever is applicable)
(6)	Whether approval of the Competent National Authority of the country of origin of biological resource has been obtained	Yes/No [drop down- list of country]
(i)	Details of the ABS-CH Unique Identifier of internationally recognized certificate of compliance (<i>if available</i>).	
(ii)	If the internationally recognized certificate of compliance is not available, the following information may be provided	
	(a) Source of the biological resource	
	(b) Purpose of the utilization of the biological resource	Research Commercial utilization Obtaining intellectual property rights Others
(iii)	Details of patent applications filed, if any	
Declaration		
I/we hereby declare that I/we have complied with the provisions of prior informed consent and mutually agreed terms of the country from where the biological resources have been obtained. I/ we hereby declare and solemnly affirm that the information provided above is true and correct to the best of my knowledge.		
Place:		Signature of the Applicant
Date:		

FORM-11*{See section 7 of the Act and rule 19(1)}***Application cum format for obtaining certificate origin for cultivated medicinal plants***(to be issued by the Biodiversity Management Committee)*

Unique Identity Number (<i>Alpha numeric to be assigned by the BMC</i>) CODE: State/District/ Mandal/ Taluk/ Town/ Village/ BMC/ Year/ Company Name / numerical Number			
Sl.no	Particulars	:	To be filled by the applicant
(1)	Name of the Biodiversity Management Committee	: (Village or Town / District / State / Union Territory)
(2)	Name of the applicant	:	
(3)	Complete Address <i>(Postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)</i>	:	
(4)	Name of the species and varieties to be accessed	:	Common name Scientific name (Genus and species/variety/strain, (if known)

		Parts
(5)	Name of the cultivator / farmer	:
(6)	Postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number	:
(7)	Geo-coordinates of the cultivated area	:(If known)
(8)	Survey number of the land	:
(9)	Extent of area under cultivation of the medicinal plants (in acres)	:
(10)	Approximate quantity of cultivated medicinal plants for which certificates is required	:(in kg /quintal / tonne/bale) -dry weight or -wet weight
(11)	Purpose of access	:
(12)	Period of access	:{from(Month) to.....(Month)}
(13)	Price of the medicinal plants (per- kg /quintal / tonne/bale)	:

I/we hereby declare and solemnly affirm that the information provided above is true and correct to the best of my knowledge.

Place

Signature

Date

Name

CERTIFICATE

This is to certify that the request made by a company/trader/individual/entity has been carefully examined and the medicinal plants have been physically verified in the field. The information given in the application form has been verified from the concerned books [page no... sl.no.... date....] maintained by the Biodiversity Management Committee.

It is certified that the above mentioned medicinal plants are from the cultivated source and meet the criteria prescribed under section 7 of the Biological Diversity (Amendment) Act, 2023 read with rule 19 of the Rules.

This certificate is valid **up to two years** from the date of issue.

Date:

(Name)

Place:

Signature of the authorized person of the BMC

Seal

FORM-12

{See section 7 of the Act and rule 19(4)}

Format of book containing details of cultivated medicinal plants to be maintained by the Biodiversity Management Committee

.....Biodiversity Management Committee,..... Panchayat/ Urban Local Body
(Specify whether area is covered under The Panchayats Extension to Scheduled Areas (PESA) Act, 1996, wherever applicable)

Sl. No.	Full details of farmers/ individuals/ entities including postal address mobile, e-mail, etc.	Geographical location of the area where cultivation is being done including name of area extent, geo co-ordinates, period of cultivation, etc.	Details of cultivated medicinal plants including common and botanical names, period of cultivation, average yield per hectare.	Approx., volume/ Quantity available before issue of certificate [1.wet weight or 2. dry weight]
1	2	3	4	5

Quantity/volume for which present certificate is being issued. [1.wet weight or 2. dry weight]	Quantity/volume remaining after issue of the present certificate (including the extent of area remains to be harvested)	Details of the receiver including complete contact details, purpose of collection	Unique identity number of certificate issued with date	Signed by the Secretary or Chief Executive Officer of the Biodiversity Management Committee and countersigned by the chairperson/ president of urban local body or member of the Biodiversity Management Committee
6	7	8	9	10

FORM-13

{See rule 20(1)}

Application for seeking prior approval of the National Biodiversity Authority for sending or carrying the biological resources outside India by Indian researchers or institutions for conducting non-commercial research or research for emergency purposes

(1) Particulars of applicant	
(i) Category of the applicant	(Drop down menu) Individual researcher Institution
(ii) Name of the applicant and designation	
(iii) Address of the applicant (Postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)	
(iv) Name of the institution	
(2) Details of the institution in India	
(i) Name of the institution	
(ii) Address of the institution (Postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and landline number)	
(3) Name of the supervisor or head of institution at the place of work, in India	
(i) Name of the supervisor or head of institution with complete address	
(ii) Designation of the supervisor or head of institution	
(4) Details of the supervisor or head of the institution or organisation who guides the proposed research or recipient of the biological resources outside India	
(i) Category (individual or institution/organization or person receiving the biological resources)	

(ii)	Name of the supervisor or head of the institution or recipient outside India	
(iii)	Complete address for communication	
(5)	Name and details of the funding agency supporting the research, if any	
(6)	Details of research that are proposed to be carried out	
(i)	Brief description of the research	
(ii)	Role and involvement of foreign researcher/institution in the research, if any	
(iii)	Benefits that would accrue to India and to the researcher through this research	
(7)	Details of biological resources proposed to be carried along or sent for the research	
(i)	a. Common name b. Scientific name c. Nature of biological resource d. Plant parts (<i>seed, stem, bark, leaf, flower, fruit, root, rhizome, genetic material, extract, exudate, etc.</i>) e. Quantity (<i>in number/vial/kg</i>) f. Geographical location (village, taluk, district, state). If procured from trader/institute, trader name, address and contact details to be provided. If procured from repository/ institution, then origin of collection is to be provided.	
(ii)	Expected duration of research to be conducted outside India	
(8)	If it is for emergency purpose, please specify the details	
Declaration		
<p>I, son/daughter/wife/husband of _____ aged _____ residing at _____ (full address) in holding a permanent ID Number (Aadhaar card/passport ,etc.) hereby declare that all the information provided above is correct and true.</p> <p>I hereby affirm that the biological resources shall be used only for the purposes as stated in the application. I shall not share/provide/part with/ leave behind any biological resource at my collaborator's facility/ laboratory without the approval of the National Biodiversity Authority.</p> <p>I, along with my supervisor and collaborator, individually and severally declare that we shall not put to commercial utilisation, nor shall seek any intellectual property rights claim based on the biological resources and traditional knowledge associated thereto used in this research.</p> <p>In case such a situation arises, we shall apply to the National Biodiversity Authority to seek prior approval. Results, process, products, or other outcomes arising out of this activity shall be shared with the National Biodiversity Authority during and upon completion of research intended along with copies of the relevant documents and publications.</p> <p>Signature:</p> <p>Date:.....</p> <p>Place:</p>		
Declaration by the Supervisor/Head of Institution		
I, working as in(Name of institution) confirm that the details provided by Mr/ Dr/ Mrs/ Ms. Are true and correct.		

Date:.....

Place:.....

Signature:.....

Designation:.....

Official Seal:.....

Declaration by the Recipient/Collaborator

I, working as in (Name of institution/ Organisation) hereby affirm that I or my institution/ organisation shall use the biological resources that were sent by (Name of the institution) or being brought by Mr./Dr./Mrs./Ms for the purposes as stated in the application and the said biological resources shall be destroyed in full after the completion of the studies or upon completion of the studies the biological resources shall be sent back to the institution from where the biological resources were received as the case maybe, or as decided by the National Biodiversity Authority. I, or the institution I am associated with, shall not claim any ownership under instant application nor shall claim any intellectual property rights over the biological resources, derivatives or other such components without prior approval of the applicant, institution affiliated and the National Biodiversity Authority.

Signature:.....

Designation.....

Official Seal

FORM-14*{See section 50 of the Act and rule-22(1)}***Form of Memorandum of Appeal**

BEFORE THE _____ MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, NEW DELHI

OR

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY (as the case may be)

(Memorandum of appeal under section 50 of the Biological Diversity Act, 2002)

Appeal No. _____ of 20

_____ Appellant

Vs.

_____ Respondent(s) (*here mention the name and details of the Authority/Board/Council, as the case may be*)

The appellant wishes to prefer this memorandum of appeal against the order dated _____ passed by the respondent on the following facts and grounds:

1. FACTS:

(Here briefly mention the facts of the case):

2. GROUND:

(Here mention the grounds on which the appeal is being made) :

- i)
- ii)
- iii)

3. RELIEF SOUGHT:

- i)
- ii)
- iii)

4. PRAYER:

a) In the light of information given above, the appellant respectfully prays that the order/ decision of the respondent be quashed/set-aside.

b) The policy/guidelines/regulations framed by the respondent be quashed/modified/ annulled to the extent

Signature of the appellant

with seal

Address:

Place: _____

Dated: _____

VERIFICATION

I, the appellant do hereby declare that the information above is true to the best of my knowledge and belief.

Verified on ____day of_____.

Signature of the appellant With Seal

Address

Signature of the Authorised representative of the appellant

Enclosures: 1. Upload an authenticated copy of the order/direction/policy decision against which the appeal has been preferred.

FORM –15*{See section 50 of the Act and rule 22(4)}***FORMAT OF NOTICE FOR APPEARING FOR HEARING**

BEFORE THE _____ MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE,
NEW DELHI

OR

National Biodiversity Authority (as the case may be)

Appeal No. _____ of 20

Between :

_____ Appellant(s)

Vs.

_____ Respondents(s)

NOTICE

Please take notice that the above appeal filed by the appellant, against the order/direction/policy decision (give details) is fixed for hearing on _____ at _____

The copies of the appeal memorandum and other annexures filed along with the appeal are attached herewith for your reference.

Please note that if you fail to appear on said date (or other subsequent date as fixed) of hearing of the appeal, the appeal would be disposed of finally as *ex-parte*.

Authorised signatory on behalf of the Appellate Authority (Seal)

Date:

Place:

FORM- 16*{See section 61(b) of the Act and rule 24(19)(b)}***FORMAT OF NOTICE BY ANY PERSON/BENEFIT CLAIMER**

By registered post with acknowledgement due

From

Shri _____

To,

Sub: NOTICE UNDER SECTION 61(b) OF THE BIOLOGICAL DIVERSITY ACT, 2002

Whereas an offence under the Biological Diversity Act, 2002 has been committed/is being committed by.....

2. I/We hereby give notice of thirty days under section 61(b) of Biological Diversity Act, 2002-of my/our intention to file a complaint in the court against for violation of the provisions of the Act.

3. In support of my/our notice, I am/we are enclosing herewith the following documents as evidence of proof:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Place: _____

Dated: _____

Signature

EXPLANATION:

- (1) In case the notice has to be given in the name of a company, documentary evidence authorising the person to sign the notice on behalf of the company shall be enclosed with the notice.
- (2) Name and address of the alleged offender needs to be given. In case of use of biological resource/traditional knowledge/doing research/bio-survey and bio-utilisation/obtaining intellectual property right/patent without the approval of the Authority, the details thereof and the commercial utilisation, if any, that has occurred, may be furnished.
- (3) Documentary evidence shall include photograph(s), technical report(s), etc., for enabling enquiry into the alleged violation/offence.

[F. No. CS-C12018/3/2020-CS-III]

RAGHU KUMAR KODALI, Scientist 'G'